



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09092026-276090
CG-DL-E-09092026-276090

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 706]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 2, 2026/भाद्र 11, 1948

No. 706]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 2, 2026/BHADRA 11, 1948

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 सितम्बर, 2026

सा.का.नि. 774(अ).— वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 2025 (2025 का 24) की धारा 116 और धारा 123 की उप-धारा (2) के खंड (च) के साथ पठित धारा 130 की उप-धारा (1), उप-धारा (2) के खंड (क), (ख) और (ग) तथा धारा 319 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और वाणिज्य पोत परिवहन (कार्गो का वहन) नियम, 1995 का अधिक्रमण करते हुए, सिवाय उन संबंधित पूर्व बातों के जो की गई या लोप की गई, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

अध्याय I

प्रारंभिक

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वाणिज्य पोत परिवहन (कार्गो और तेल ईंधन का वहन) नियम, 2026 है।
(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।
- लागू होना — जब तक अधिनियम या उसके तहत बनाए गए किसी अन्य नियम में अन्यथा विनिर्दिष्ट किया गया हो, ये नियम इन पर लागू होंगे—

- (1) कार्गो का वहन (थोक में तरल पदार्थों या थोक में गैसों के सिवाय) जिनके कारण पोतों या पोत पर मौजूद लोगों को विशेष खतरा हो सकता है जिससे विशेष सावधानियां बरतना अपेक्षित होता है;
- (2) सभी भारतीय पोत, सिवाय उन पोतों के जो अधिनियम के भाग XIII के अंतर्गत आते हैं, जो कहीं भी इन नियमों में निर्दिष्ट कार्गो को ले जा रहे हैं या ले जाने वाले हैं;
- (3) भारतीय पोतों को छोड़कर अन्य सभी पोत, जब वे जहाज इन नियमों में निर्दिष्ट कार्गो को भारत के भीतर जिसमें भारत के तटीय जल, पत्तन या स्थान शामिल हैं, ले जा रहे हों या ले जाने वाले हों;
- (4) 500 सकल टनभार से कम के सभी भारतीय पोत, यदि प्रशासन इस संबंध में लिखित रूप में विशिष्ट या सामान्य आदेश या परिपत्र द्वारा सुरक्षित यात्रा के स्वरूप और स्थितियों को ध्यान में रखते हुए, ऐसे पोतों की उचित और समतुल्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ऐसे उपायों की सीमा या अनुमति निर्दिष्ट करता है।

3. परिभाषाएँ — (1) इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) “अधिनियम” से वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 2025 (2025 का 24) अभिप्रेत है;

(ख) “प्रशासन” से समुद्री प्रशासन का महा निदेशक अभिप्रेत है;

(ग) “कार्गो मद” का वही अर्थ होगा जो उसका यथा संशोधित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षित कंटेनर्स समझौता, 1972’ में है और इसमें कंटेनर में ले जाए जाने वाले सभी तरह के सामान, माल, तरल, वाणिज्य वस्तु, गैस, ठोस चीजें और किसी भी प्रकार की अन्य वस्तुएँ शामिल हैं जिन्हें वहन के अनुबंध के तहत ले जाया जाता है; लेकिन इसमें कंटेनर में ले जाए जाने वाले जहाज के उपकरण, आपूर्तियां, स्पेयर पार्ट्स या उससे जुड़े भण्डार सामान शामिल नहीं हैं।

(घ) “कार्गो परिवहन इकाई” से नौभार कंटेनर, स्वैप बॉडी, वाहन, रेलवे वैगन या कोई अन्य ऐसी ही इकाई अभिप्रेत है, विशेष रूप से जब इसका उपयोग इंटरमॉडल परिवहन में किया जाता है;

(ङ.) “कार्गो इकाई” से वाहन, कंटेनर, फ्लैट, पैलेट, पोर्टेबल टैंक, पैकड इकाई या कोई अन्य इकाई आदि अभिप्रेत है, और इसमें लदान उपकरण या उसका कोई हिस्सा भी शामिल है जो पोत का तो है लेकिन पोत से स्थायी रूप से जुड़ा नहीं है;

(च) “थोक कैरियरों के सुरक्षित लदान और उतारने की प्रक्रिया संहिता” से थोक कैरियरों की सुरक्षित लदान और उतारने की प्रक्रिया संहिता अभिप्रेत है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय समुद्री ठोस थोक कार्गो संहिता के अनुपूरक के रूप में निगमित यथा संशोधित अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन प्रस्ताव क.862(20) द्वारा टर्मिनल प्रतिनिधियों के लिए अपनाया गया ठोस थोक कार्गो की लदान और उतारने का मैनुअल भी शामिल है;

(छ) “सक्षम प्राधिकारी” से प्रशासन या प्रशासन द्वारा इन नियमों के तहत कोई कार्य करने के लिए अधिकृत कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;

(ज) “कंटेनर” से सुरक्षित कंटेनरों के लिए अंतर्राष्ट्रीय समझौता, 1972 में परिभाषित कंटेनर अभिप्रेत है;

(झ) “सीटीयू संहिता” से कार्गो परिवहन इकाई की पैकिंग के लिए प्रक्रिया संहिता, 2014 अभिप्रेत है, जिसे

समय-समय पर यथा संशोधित अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन और संयुक्त राष्ट्र यूरोप आर्थिक आयोग द्वारा अनुमोदित किया गया है;

(ज) "दस्तावेज़" में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री खतरनाक सामान संहिता के अध्याय 5.4 में यथा निर्दिष्ट, कागजी प्रलेखन के विकल्प और सहायता के रूप में इलेक्ट्रॉनिक डेटा अध्ययन और इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज ट्रांसमिशन तकनीक का उपयोग शामिल है;

(ट) "अनाज" में गेहूं, मक्का, जई, राई, जौ, चावल, दालें, बीज और उनके प्रसंस्कृत रूप शामिल हैं, जिनका प्रभाव अपनी प्राकृतिक अवस्था में अनाज के समान होता है;

(ठ) "सकल द्रव्यमान" से कंटेनर के खाली कंटेनर के वजन और सभी पैकेजों और कार्गो वस्तुओं के द्रव्यमान का संयुक्त योग है, जिसमें पैलेट, डनेज और कंटेनर में पैक की गई अन्य पैकिंग सामग्री और सुरक्षित करने वाली सामग्री शामिल है;

(ड) "अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षित कंटेनर अभिसमय, 1972" से समय-समय पर संशोधित अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा अपनाया गया अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षित कंटेनर अभिसमय, 1972 अभिप्रेत है;

(ढ) "अंतर्राष्ट्रीय अनाज संहिता" से समय-समय पर यथा संशोधित अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा एम.एस.सी. 23 (59) द्वारा अपनाया गया अंतर्राष्ट्रीय समुद्री थोक अनाज वहन संहिता अभिप्रेत है;

(ण) "आई.एम.एस.बी.सी. संहिता" से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा संकल्प एम.एस.सी.268 (85) द्वारा अपनाई गई समय-समय पर यथा संशोधित अंतर्राष्ट्रीय समुद्री ठोस थोक कार्गो संहिता अभिप्रेत है;

(त) "अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन" से संयुक्त राष्ट्र की विशेषज्ञ एजेंसी अभिप्रेत है जो नौवहन की सुरक्षा और रक्षा तथा पोतों द्वारा प्रदूषण की रोकथाम के लिए जिम्मेदार है;

(थ) "नोटिस" से प्रशासन द्वारा अधिनियम की धारा 301 के अन्तर्गत जारी कोई नोटिस, परिपत्र, आदेश या दिशा-निर्देश अभिप्रेत है;

(द) "पैकेज" से एक या एक से अधिक कार्गो मदें अभिप्रेत हैं जिन्हें परिवहन के लिए एकसाथ बांधा, पैक, लपेटा, बॉक्स में रखा या पार्सल किया जाता है, जिसमें पार्सल, बॉक्स, पैकेट और कार्टन शामिल हैं परंतु ये इन्हीं तक सीमित नहीं हैं।

(ध) "पत्तन देश प्राधिकरण" से क्षेत्राधिकार वाला व्यापारिक समुद्री विभाग अभिप्रेत है;

(न) "मान्यता प्राप्त संगठन" से अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत अधिसूचित किसी व्यक्ति या व्यक्तियों का निकाय अभिप्रेत है;

(प) "अनुसूची" से इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है;

(फ) "पोतवणिक" से कोई कानूनी इकाई या व्यक्ति अभिप्रेत है जिसका नाम लदान बिल, सी वेबिल या समतुल्य मल्टीमॉडल परिवहन दस्तावेज (जैसे लदान बिल "के माध्यम से") पर पोतवणिक के तौर पर लिखा हो, या जिसने (या जिसके नाम पर या जिसकी ओर से) किसी नौवहन कंपनी के साथ सामान ले जाने का अनुबंध किया हो;

(ब) "नौवहन दस्तावेज" से वह दस्तावेज अभिप्रेत है जिसका उपयोग पोतवणिक, पैक किए गए कंटेनर के सत्यापित कुल वजन की जानकारी देने के लिए करता है। यह नौवहन कंपनी को दिए जाने वाले नौवहन निर्देशों

का हिस्सा हो सकता है या फिर एक अलग पत्र (जैसे घोषणा-पत्र) हो सकता है, जिसमें वजन करने वाले स्टेशन से मिला वजन का प्रमाण-पत्र भी शामिल हो सकता है।

(भ) “ठोस थोक कार्गो” से तरल या गैस के अलावा कोई भी कार्गो अभिप्रेत है, जिसमें कण, दाने या सामग्री के बड़े टुकड़े शामिल हों जो सामान्यता एक समान संरचना वाले हों, और जिन्हें बिना किसी मध्यवर्ती कंटेनर के सीधे पोत की कार्गो जगह में लादा जाता है;

(म) “खाली द्रव्यमान” से खाली कंटेनर का द्रव्यमान अभिप्रेत है जिसमें कोई पैकेज, कार्गो वस्तु, पैलेट, डनेज, या कोई अन्य पैकिंग सामग्री या सुरक्षित करने वाली सामग्री न हो;

(य) “टर्मिनल प्रतिनिधि” से उस टर्मिनल या अन्य सुविधा द्वारा नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है जहाँ पोत में माल लादा या उससे उतारा जा रहा है, उसकी ज़िम्मेदारी उस टर्मिनल या सुविधा द्वारा उस पोत विशेष के संबंध में किए जाने वाले कार्यों के लिए हो;

(र) “इमारती लकड़ी के डेक कार्गो” से फ्रीबोर्ड या सुपरस्ट्रक्चर डेक के खुले हिस्से पर ले जाया जाने वाला इमारती लकड़ी का कार्गो अभिप्रेत है;

(ल) “सत्यापित सकल द्रव्यमान” से पैक किए गए कंटेनर का कुल वजन, जो निर्दिष्ट तरीकों में से किसी एक तरीके से निकाला गया हो।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किंतु अधिनियम, 'अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षित कंटेनर अभिसमय, 1972', 'अंतर्राष्ट्रीय समुद्र में जीवन सुरक्षा अभिसमय, 1974', 'अंतर्राष्ट्रीय पोत से प्रदूषण निवारण अभिसमय, 1973/1978' और लागू संहिताओं में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे, जो उनके यथास्थिति अधिनियम और उन लागू विनियमों, संहिताओं और अभिसमयों में हैं।

अध्याय II

सामान्य उपबंध

4. **इमारती लकड़ी के कार्गो का वहन** — (1) इमारती लकड़ी के डेक कार्गो और होल्ड के अंदर इमारती लकड़ी ले जाने वाले प्रत्येक पोत को इमारती लकड़ी संहिता के प्रावधानों और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की सिफारिशों का पालन करना होगा, जैसा कि प्रस्ताव एम.एस.सी./सर्क.525 और एम.एस.सी./सर्क. 548 में संशोधित रूप में अपनाया गया है और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की समय-समय पर जारी ऐसी अन्य सिफारिशों का पालन करना होगा।

स्पष्टीकरण— इस उप-नियम के प्रयोजनों के लिए, “इमारती लकड़ी संहिता” पद से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के संकल्प ए.1048 (27) द्वारा अंगीकृत इमारती लकड़ी डेक कार्गो ले जाने वाले पोतों के लिए समय-समय पर यथा संशोधित सुरक्षित प्रक्रिया संहिता अभिप्रेत है;

(2) इमारती लकड़ी लोड लाइन से सुसज्जित और उसका उपयोग करने वाले सभी पोतों को, यथासंशोधित अंतर्राष्ट्रीय लोड लाइन करार के लागू विनियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन करना होगा, और सक्षम प्राधिकारी या मान्यताप्राप्त संगठन द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित स्थिरता पुस्तिका की शर्तों के अनुसार, डेक के नीचे और डेक पर इमारती लकड़ी कार्गो का लदान करना होगा।

(3) इमारती लकड़ी के डेक कार्गो से लदे पोत को इस नियम की अपेक्षाओं का अनुपालन करना होगा और यदि वह भारत से बाहर है तो संबंधित पत्तन देश प्राधिकारी या संबंधित पत्तन देश नियंत्रण अधिकारी को इसकी रिपोर्ट करनी होगी।

5. माल परिवहन इकाइयों (कंटेनरों) का वहन— (1) पोत का मास्टर यह सुनिश्चित करेगा कि समुद्री परिवहन के लिए लादे, रखे और ले जाए जाने वाले नये या मौजूदा कंटेनरों पर एक सुरक्षा अनुमोदन प्लेट लगी हो जो कि संशोधित कंटेनर के लिए अंतरराष्ट्रीय सुरक्षित समझौता, 1972 के परिशिष्ट में दिए गए विनिर्देशों के अनुरूप हो।

(2) पोत का मास्टर यह सुनिश्चित करेगा कि पोत पर लाए गए प्रत्येक ऐसे कंटेनर को नियम 7 के उपनियम (5) में विनिर्दिष्ट दस्तावेज उपलब्ध कराए गए हैं और वह सक्षम प्राधिकारी या मान्यताप्राप्त संगठन द्वारा सम्यक रूप में अनुमोदित कार्गो सुरक्षा मैनुअल के अनुसार सुरक्षित है।

(3) प्रत्येक मास्टर या स्वामी यह सुनिश्चित करेगा कि कंटेनर में ले जाए जाने वाले खतरनाक सामान को सत्यापित किया गया है और वह अंतरराष्ट्रीय समुद्री खतरनाक माल संहिता के नियमों का पालन करता है।

(4) मास्टर या स्वामी यह सुनिश्चित करेंगे कि पोत पर प्राप्त कंटेनरों का पूर्णतः रखरखाव किया जाए और सुरक्षा अनुमोदन प्लेट पर सुसंगत पृष्ठांकन दर्शाया जाए।

(5) पोत का स्वामी अपने पोत पर माल परिवहन इकाइयों का लदान करते समय यह सुनिश्चित करेगा कि पोतवणिक, पैकिंग के विशेष संदर्भ के साथ सीटीयू संहिता, 2014 के अनुपालन को दर्शाने वाले दस्तावेज प्रदान करे।

(6) 'अंतराष्ट्रीय सुरक्षित कंटेनर समझौता, 1972' के नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए, प्रशासन अन्य एजेंसियों जिनमें मान्यता प्राप्त संगठन भी शामिल हैं, को निरीक्षण और परीक्षण, के लिए अधिकृत कर सकता है। साथ ही, लागू अपेक्षाओं का पालन होने की पुष्टि होने पर, सुरक्षा अनुमोदन प्लेट जारी करने सहित आगे का अनुमोदन भी दिया जा सकता है।

6. अनाज के अलावा ठोस थोक कार्गो — अनाज के अलावा अन्य ठोस थोक कार्गो के वहन में अंतराष्ट्रीय समुद्री जीवन सुरक्षा समझौता, 1974 के अध्याय VI की अपेक्षाओं तथा अंतराष्ट्रीय समुद्री ठोस थोक कार्गो संहिता के सुसंगत प्रावधानों का अनुपालन किया जाएगा।

7. कार्गो की जानकारी — (1) किसी भी माल का लदान करने वाले सभी पोतों के स्वामी और मास्टर यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्गो परिचालन शुरू करने से पहले पोतवणिक द्वारा पोत को कार्गो जानकारी उपलब्ध करा दी जाए।

स्पष्टीकरण— इस उप-नियम के प्रयोजन के लिए, "कार्गो सूचना" पद अभिव्यक्ति से अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन संकल्प ए.714(17) द्वारा अपनाए गए सुरक्षित कार्गो नौभरण और सुदृढ़ प्रक्रिया संहिता, जैसा संशोधित किया जाए, के उप-अध्याय 1.9 में अपेक्षित सूचना अभिप्रेत है।

(2) पोतवणिक, मास्टर या उसके प्रतिनिधि को माल लदान से पर्याप्त समय पहले माल के बारे में उपयुक्त जानकारी प्रदान करेगा ताकि माल के उचित भंडारण और सुरक्षित वहन के लिए आवश्यक सावधानियां बरती जा सकें और ऐसी जानकारी-

(क) एमएससी/सर्किल के माध्यम से अंतराष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा अनुशंसित प्रपत्र में प्रदान की जाएगी।

(ख) उसकी पोत पर कार्गो का लदान करने से पहले लिखित रूप में और सही दस्तावेजों के साथ पुष्टि की जाएगी;

(ग) इसमें निम्नलिखित शामिल होंगे, अर्थात्:--

- (i) सामान्य कार्गो और कार्गो इकाइयों में ले जाए जाने वाले कार्गो के मामले में, कार्गो का सामान्य विवरण, कार्गो या कार्गो इकाइयों का सकल द्रव्यमान और कार्गो की कोई भी सुसंगत सम्पत्ति;
- (ii) ठोस थोक कार्गो के मामले में, अंतरराष्ट्रीय समुद्री ठोस थोक कार्गो संहिता की धारा 4 द्वारा अपेक्षित सूचना;
- (iii) आईएमएसबीसी संहिता में सूचीबद्ध नहीं थोक कार्गो के मामले में, अंतरराष्ट्रीय समुद्री ठोस थोक कार्गो संहिता की धारा 1.3 के प्रावधान।

(3) जहाज़ पर माल का लदान करने के पहले, पोतवणिक यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसी इकाइयों का सकल द्रव्यमान नौवहन दस्तावेज़ों में घोषित सकल द्रव्यमान के अनुसार है और यह **अनुलग्नक-1** के अनुसार सुनिश्चित किया गया है।

(4) कंटेनर में ले जाए जाने वाले माल के मामले में, चेसिस या ट्रेलर पर ले जाए जाने वाले कंटेनरों को छोड़कर, जब ऐसे अंतरराष्ट्रीय कंटेनर समुद्री जीवन सुरक्षा समझौता, 1974 के विनियमन III/3 में परिभाषित लघु अंतरराष्ट्रीय यात्राओं में लगे रो-रो जहाज़ पर या उससे चलाए जाते हैं, तो कंटेनर के सकल द्रव्यमान को अनुलग्नक-1 में विस्तृत प्रक्रिया के अनुसार सत्यापित किया जाएगा।

(5) कंटेनर का पोतवणिक यह सुनिश्चित करेगा कि कंटेनर के द्रव्यमान को **अनुलग्नक-1** में निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार, संकल्प (MSC.1/ Circ. 1475) के अनुरूप सत्यापित किया गया है और

(क) पोतवणिक द्वारा विधिवत अधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित है; और

(ख) मास्टर या उनके प्रतिनिधि और टर्मिनल प्रतिनिधि को पर्याप्त समय पहले सौंपा गया, जैसा कि मास्टर या उनके प्रतिनिधि द्वारा अपेक्षित हो, ताकि इसका उपयोग पोत की नौभरण योजना को तैयार करने में किया जा सके।

(6) यदि किसी पैक किए गए कंटेनर के नौवहन दस्तावेज़ में उसका सत्यापित कुल वज़न नहीं दिया गया है, और मास्टर या उनके प्रतिनिधि और टर्मिनल के प्रतिनिधि ने उस पैक किए गए कंटेनर का सत्यापित कुल वज़न पता नहीं किया है, तो उसे पोत पर नहीं चढ़ाया जाएगा।

8. ऑक्सीजन विश्लेषण और गैस खोजी उपकरण — प्रत्येक वह पोत जो ऐसा ठोस थोक कार्गो ले जा रहा है जिससे ज़हरीली या ज्वलनशील गैस निकल सकती है या कार्गो की जगह में ऑक्सीजन कम हो सकती है, उस पर हवा में गैस या ऑक्सीजन की मात्रा मापने के लिए सही उपकरण होना चाहिए। साथ ही, मूल उपकरण विनिर्माता से उपयोग के लिए विस्तृत निर्देश भी होने चाहिए और निम्नलिखित शर्तों का पालन करना होगा:—

(क) ऐसे पोत पर कू सदस्यों को ऐसे उपकरण के उपयोग का प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह प्रशिक्षण उनके शामिल होने के दो सप्ताह के अंदर, या बंद जगहों में जाने से पहले, या कार्गो प्रचालन शुरू होने से पहले जिससे हवा की स्थिति पर प्रभाव पड़ता है, इनमें से जो भी पहले हो, दी जानी चाहिए और इसका रिकॉर्ड रखा जाएगा;

(ख) ऐसे प्रत्येक उपकरण का रखरखाव किया जाएगा और विनिर्माता की अपेक्षा के अनुसार समय-समय पर अंशांकन किया जाएगा।

9. पोतों में कीटनाशकों का उपयोग — (1) पोत के प्रत्येक मास्टर को अपने पोत पर कीटनाशकों का उपयोग करते समय, विशेषकर फ्यूमिगेशन के लिए, उचित सावधानी बरतनी चाहिए। उन्हें अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के प्रस्तावों MSC.1/Circ.1358, MSC.1/Circ.1264, MSC.1/Circ.1361 की संबंधित सिफारिशों का पालन करना होगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके कू और धूम्रिकरण में शामिल लोगों की जान को कोई खतरा न हो।

(2) मार्गस्थ धूम्रिकरण केवल अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के प्रस्ताव एम.एस.सी.1/ सर्क. 1264 की सिफारिशों के आधार पर और प्रशासन द्वारा जारी नोटिसों यदि कोई हो, के अनुपालन में किया जाएगा।

10. भंडारण और सुदृढ़ करना — पोत पर किसी भी कार्गो के नौभरण सुदृढीकरण और सुरक्षित करने के समय, मास्टर को कार्गो की स्वीकार्यता, नौभरण सुदृढीकरण करने के लिए संबंधित संहिता में निर्दिष्ट नियमों का पालन इस प्रकार करना होगा:—

(क) डेक के ऊपर या नीचे ले जाए जाने वाले कार्गो, कार्गो इकाई और कार्गो परिवहन इकाई को इस तरह से लादा, व्यवस्थित और सुरक्षित किया जाएगा कि पूरी यात्रा के दौरान पोत और उस पर मौजूद लोगों को क्षति या खतरा न हो और कार्गो के समुद्र में गिरने से होने वाली क्षति को यथासंभव रोका जा सके;

(ख) कार्गो, कार्गो इकाई और कार्गो परिवहन इकाई को इकाई के भीतर इस तरह से पैक और सुरक्षित किया जाएगा कि पूरी यात्रा के दौरान पोत और उस पर मौजूद लोगों को क्षति या खतरा न हो;

(ग) भारी कार्गो अथवा असामान्य भौतिक आयाम वाले कार्गो की लदान और वहन के दौरान पोत को संरचनात्मक क्षति से बचाने तथा पूरी यात्रा के दौरान पर्याप्त स्थिरता बनाए रखने के लिए उचित सावधानियां बरती जाएंगी;

(घ) रो-रो पोतों पर कार्गो इकाइयों और कार्गो वहन इकाइयों के लदान और वहन के दौरान उचित सावधानियां बरती जाएंगी, विशेषकर ऐसे पोतों पर तथा कार्गो इकाइयों और कार्गो वहन इकाइयों पर सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में तथा सुदृढीकरण बिंदुओं एवं बंधनों को सुदृढ़ करने की मजबूती के संबंध में;

(ङ.) नौभार कंटेनरों को अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षित कंटेनर समझौता, 1972, यथासंशोधित, के अंतर्गत उस पर निर्धारित सुरक्षा अनुमोदन प्लेट पर इंगित अधिकतम सकल भार से अधिक नहीं लादा जाएगा;

(च) ठोस और तरल थोक कार्गो, कार्गो इकाई और कार्गो परिवहन इकाई के अलावा अन्य सभी कार्गो को सक्षम प्राधिकारी या मान्यता प्राप्त संगठन द्वारा विधिवत अनुमोदित 'कार्गो सिक्वोरिंग मैनुअल' के अनुसार पूरी यात्रा के दौरान पोत पर लादा, व्यवस्थित और सुरक्षित किया जाएगा;

(छ) अंतर्राष्ट्रीय समुद्री जीवन सुरक्षा समझौता, 1974 के विनियमन II-2/3.41 में परिभाषित रो-रो स्थानों वाले पोतों में, कार्गो, कार्गो इकाइयों और कार्गो परिवहन इकाइयों की समग्र सुरक्षा, सक्षम प्राधिकारी या मान्यता प्राप्त संगठन द्वारा विधिवत अनुमोदित कार्गो सुरक्षा मैनुअल के अनुसार होगी, और पोत के बर्थ छोड़ने से पहले पूरी की जाएगी।

11. सामग्री सुरक्षा डेटा शीट — तेल या तेल ईंधन ले जाने वाले पोतों को, ऐसे तेल को थोक में कार्गो के रूप में लदाने या तेल ईंधन के बंकरिंग से पहले, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के संकल्प एम.एस.सी.286(86) की सिफारिशों के आधार पर सामग्री सुरक्षा डेटा शीट उपलब्ध कराई जाएगी।

स्पष्टीकरण— इस नियम के प्रयोजन से, “तेल ईंधन” पद से कोई भी ऐसा तेल अभिप्रेत है जिसका उपयोग उस पोत को आगे बढ़ाने या उसकी सहायक मशीनरी चलाने के लिए ईंधन के तौर पर किया जाता है, जिसमें वह तेल ले जाया जा रहा है।

12. समुद्री यात्राओं के दौरान थोक तरल कार्गो को मिलाने और उत्पादन प्रक्रियाओं पर रोक — (1) समुद्री यात्राओं के दौरान थोक तरल कार्गो को भौतिक रूप से मिलाना निषिद्ध है:

परन्तु कि इस प्रतिषेध पोत से कप्तान को पोत की सुरक्षा या समुद्री पर्यावरण की रक्षा के लिए कार्गो हस्तांतरित करने की मनाही नहीं है।

स्पष्टीकरण— इस उप-नियम के प्रयोजनों के लिए, “भौतिक मिश्रण” पद से वह प्रक्रिया अभिप्रेत है, जिससे पोत के कार्गो पंपों और पाइपलाइनों का उपयोग एक नए उत्पाद पदनाम वाले कार्गो को प्राप्त करने के इरादे से दो या दो से अधिक विभिन्न कार्गो को आंतरिक रूप से परिचालित करने के लिए किया जाता है।

(2) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट प्रतिषेध, ऐसे प्रचालन कार्यों को सुविधाजनक बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले पोतों पर समुद्र तल के खनिज संसाधनों की खोज और दोहन में उपयोग के लिए उत्पादों के मिश्रण पर लागू नहीं होगा।

(3) समुद्री यात्राओं के दौरान पोत पर किसी भी तरह की उत्पादन प्रक्रिया का प्रतिषेध है।

स्पष्टीकरण— इस उप-नियम के प्रयोजन से, “उत्पादन प्रक्रिया” पद से किसी भी ऐसी जानबूझकर की गई प्रक्रिया अभिप्रेत है जिससे पोत के कार्गो और किसी अन्य पदार्थ या कार्गो के बीच रासायनिक प्रतिक्रिया होती है।

(4) उप-नियम (3) में निर्दिष्ट प्रतिषेध ऐसे प्रचालन कार्यों को सुविधाजनक बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले पोतों पर समुद्र तल खनिज संसाधनों की खोज और दोहन में उपयोग के लिए कार्गो के उत्पादन प्रक्रियाओं पर लागू नहीं होगा।

अध्याय -III

ठोस थोक कार्गो के लिए विशेष नियम

1. शिपमेंट के लिए अनुमोदन — (1) ठोस थोक कार्गो का लदान करने से पहले, मास्टर के पास मानक लदान शर्तों के अनुसार कार्गो की स्थिरता और वितरण के बारे में व्यापक जानकारी होगी, जो कि-

(क) प्रशासन द्वारा समय-समय पर जारी लागू नोटिस द्वारा निर्धारित अपेक्षाओं के अनुरूप होगी;

(ख) अंतर्राष्ट्रीय समुद्री जीवन सुरक्षा समझौता, 1974 के विनियमन II-1/5-1 और पूर्ण स्थिरता जानकारी (एमएससी/सर्क.456) को तैयार करने के लिए संबंधी दिशानिर्देशों का पालन करें और प्रतिकूल मौसम और समुद्री परिस्थितियों में खतरनाक स्थितियों से बचने के लिए मास्टर को संशोधित दिशा-निर्देश (एमएससी.1/सर्क.1228); और

(ग) सक्षम अधिकारी या मान्यता प्राप्त संगठन द्वारा अनुमोदित लदान उपकरण से हो।

(2) सान्द्र या दूसरे कार्गो जो तरल बन हो सकते हैं, उन्हें पोत का मास्टर लदान के लिए तभी लेगा जब कार्गो में वास्तविक नमी उसकी परिवहनीय नमी सीमा से कम हो:

परन्तु यह कि परिवहनीय नमी सीमा से ज्यादा नमी वाले कार्गो को, भारतीय पोतों के लिए प्रशासन द्वारा मंजूर कार्गो शिफ्ट के लिए विशेष तौर पर बनाए गए या फिट किए गए कार्गो पोतों पर ले जाया जा सकता है, और विदेशी ध्वज वाले पोतों के मामले में, संबंधित ध्वज देश प्रशासन द्वारा यथा अनुमोदित।

(3) नियम 7 के उप-नियम (2) के खंड (c) के उप-खंड (ii) में उल्लिखित ठोस थोक कार्गो से संबंधित जानकारी में कार्गो की नमी की मात्रा और परिवहनीय नमी सीमा संबंधी हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र शामिल होना चाहिए, जिसे अनुबंध-II के अनुसार प्रशासन द्वारा अनुमोदित निकाय या प्रयोगशाला द्वारा जारी किया गया हो।

(4) मास्टर, थोक कार्गो की सुरक्षित लदान और वहन के लिए विशेष सावधानियां बरतेगा, जिनमें रासायनिक गुण हो सकते हैं जो संभावित खतरा पैदा कर सकते हैं और जो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री खतरनाक माल संहिता के अंतर्गत नहीं आते हैं।

14. वहन की अपेक्षाएं — (1) अनाज के अलावा अन्य ठोस थोक कार्गो का लदान करने वाले प्रत्येक पोत को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री ठोस थोक कार्गो संहिता की अपेक्षाओं और थोक वाहकों की सुरक्षित लदान और उतारने संप्रक्रिया संबंधी हिता में निर्धारित लदान और उतारने की प्रक्रियाओं का पालन करना होगा।

(2) मास्टर यह सुनिश्चित करेगा कि थोक कार्गो को कार्गो की जगह की सीमाओं तक उचित स्तर पर ठीक से लदान और छांटा जाए, ताकि खिसकने के जोखिम को कम किया जा सके और पूरी यात्रा के दौरान पर्याप्त स्थिरता बनाए रखी जा सके।

(3) जहां सामान्य कार्गो पोतों के ट्वीन-डेक में थोक माल ले जाया जाता है,-

(क) ऐसे स्थानों के हैचवे को बंद कर दिया जाएगा, जहां लदान सूचना से पता चलता है कि हैचवे को खुला छोड़ने पर नीचे की संरचना पर दबाव का स्तर अस्वीकार्य है;

(ख) कार्गो को उचित स्तर पर छांटा जाएगा तथा उसे या तो एक ओर से दूसरी ओर फैलाया जाएगा अथवा पर्याप्त मजबूती के अतिरिक्त अनुदैर्घ्य विभाजनों द्वारा सुरक्षित किया जाएगा;

(ग) डेक के बीच की सुरक्षित भार वहन क्षमता का ध्यान रखा जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि डेक संरचना पर अधिक दबाव न पड़े अथवा उस पर अधिक भार न पड़े; और

(घ) ट्वीन-डेक पोतों या सामान्य कार्गो पोतों पर ले जाए जाने वाले कार्गो के संबंध में मास्टर को 'अंतर्राष्ट्रीय समुद्री ठोस थोक कार्गो संहिता' के संबंधित सेक्शन का पालन करना चाहिए।

15. लदान, माल उतरना और नौभरण — (1) पोतवणिक, पोत स्वामी, पोत मास्टर और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री ठोस थोक कार्गो संहिता में सूचीबद्ध अनाज के अलावा अन्य ठोस थोक कार्गो के सुरक्षित लदान और उतारने में शामिल पत्तन थोक कैरियर के सुरक्षित लदान और उतारने के लिए प्रक्रिया संहिता में निर्दिष्ट सुसंगत जिम्मेदारियों, कर्तव्यों और अधिकारों का सख्ती से पालन करेंगे और टर्मिनल प्रतिनिधियों के लिए ठोस थोक कार्गो के लदान और उतारने पर मैनुअल में विस्तृत प्रक्रियाओं का पालन करेंगे।

(2) यदि कार्गो 'अंतर्राष्ट्रीय समुद्री ठोस थोक कार्गो संहिता' में सूचीबद्ध नहीं हैं या उसकी विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं है, तो पोतवणिक, पोत के स्वामी, पोत के मास्टर या संबंधित पत्तन को बिना किसी देरी के प्रशासन से संपर्क करना चाहिए।

(3) पोत के ढांचे में अत्यधिक भार को रोकने में मास्टर को सक्षम बनाने के लिए, ऐसे कार्गो के लदान में लगे सभी पोतों को सक्षम प्राधिकारी या मान्यता प्राप्त संगठन द्वारा विधिवत अनुमोदित एक पुस्तिका दी जाएगी, जो उस भाषा में लिखी होगी जिससे पोत के मास्टर और कार्गो संचालन के लिए जिम्मेदार अधिकारी परिचित हों और यदि भाषा, अंग्रेजी नहीं है, तो अंग्रेजी भाषा में एक पुस्तिका पोत को निम्नलिखित जानकारी के साथ उपलब्ध कराई जाएगी, अर्थात्: -

(क) स्थिरता डेटा, जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री जीवन सुरक्षा समझौता, 1974 के विनियमन II-

1/5-1 द्वारा यथा अपेक्षित है;

(ख) बैलास्टिंग और डी-बैलास्टिंग दरें और क्षमताएं;

(ग) टैंक टॉप प्लेटिंग के प्रति इकाई सतह क्षेत्र पर अधिकतम स्वीकार्य भार;

(घ) प्रति पेंदा (होल्ड) अधिकतम स्वीकार्य भार;

(ड.) लदान और उतारने के सामान्य निर्देश, जिसमें लदान, माल उतारने, बैलेंसिंग प्रचालन और यात्रा के दौरान सबसे प्रतिकूल चालन स्थितियों पर कोई सीमाएँ शामिल हैं;

(च) कोई विशेष प्रतिबंध, जैसे प्रशासन द्वारा लागू किसी नोटिस द्वारा जारी सर्वाधिक प्रतिकूल प्रचालन स्थितियों पर सीमाएं, यदि कोई हो;

(छ) जहां संख्या की गणना अपेक्षित है, लदान, माल उतारने और यात्रा के दौरान पोत के पतवार पर अधिकतम स्वीकार्य बल और गति।

(4) ठोस थोक कार्गो को लदान या माल उतारने के पहले, मास्टर तथा टर्मिनल प्रतिनिधि को –

(क) थोक कैरियर की सुरक्षित लदान और माल उतारने के लिए प्रक्रिया संहिता के अनुसार तैयार की गई योजना पर सहमत होना होगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लदान या माल उतारने के दौरान पोत पर स्वीकार्य बल और वजन अधिक न हो जाएं;

(ख) इसमें लदान या माल उतारने का क्रम, मात्रा और दर शामिल होगी, जिसमें लदान या माल उतारने की स्पीड, उड़लने की संख्या और पोत की डी-बैलास्टिंग या बैलास्टिंग क्षमता को ध्यान में रखा जाएगा।

स्पष्टीकरण— इस उप-नियम के प्रयोजनों के लिए, "उड़लने" पद से लदान योजना में एक चरण के रूप में एक हैच खोलने के माध्यम से डाले गए माल की मात्रा अभिप्रेत है, अर्थात् उस समय से जब टॉपी को हैच खोलने पर रखा जाता है जब तक कि इसे दूसरे हैच खोलने में नहीं ले जाया जाता है।

(5) उप-नियम (4) के खंड (क) में निर्दिष्ट योजना तथा उसमें किए गए किसी भी पश्चातवर्ती संशोधन की रिपोर्ट पत्तन देश के निकटतम प्राधिकारी को दी जाएगी।

(6) मास्टर तथा टर्मिनल प्रतिनिधि यह सुनिश्चित करेंगे कि लदान तथा माल उतारने कार्य सहमत योजना के अनुरूप संचालित किए जाएं।

(7) अगर लदान या माल उतारने के दौरान कार्गो योजना में निर्दिष्ट कोई भी सीमा पार हो जाती है या पार होने की संभावना होती है और लदान या माल उतारने जारी रहती है, तो मास्टर काम रोक देगा और पत्तन देश के अधिकारी को इसकी सूचना देगा; साथ ही, मास्टर और टर्मिनल प्रतिनिधि यह सुनिश्चित करेंगे कि सुधारात्मक कार्रवाई की जाए।

(8) यदि कोई क्षति होती है, जो संरचनात्मक क्षमता या जलरोधी सुदृढ़ता या पोत की आवश्यक इंजीनियरिंग प्रणालियों को खराब कर सकती है, तो क्षति की रिपोर्ट मान्यता प्राप्त संगठन या पत्तन देश के प्राधिकारी को की जाएगी।

(9) मास्टर यह सुनिश्चित करेगा कि पोत के कर्मचारी लगातार कार्गो प्रचालन की निगरानी रखें और जहां संभव हो, पोत के डेडवेट तथा उपलब्ध कराए गए कार्गो आंकड़ों के अनुरूप होने की पुष्टि करने के लिए लदान या माल उतारने के दौरान पोत के ड्राफ्ट की नियमित रूप से जांच की जाएगी।

(10) प्रत्येक ड्राफ्ट, डेडवेट जिसमें लदान किए गए संबंधी टिप्पणी कार्गो शामिल है, को कार्गो लॉग-बुक या अन्य समकक्ष पोत के लॉग-बुक में दर्ज किया जाएगा और यदि सहमत योजना से अधिक विचलन का पता चलता है, तो यह सुनिश्चित करने के लिए कि विचलन को ठीक किया गया है, कार्गो या गिट्टी संचालन या दोनों को समायोजित किया जाएगा।

(11) प्रशासन, पोत मालिकों, पत्तनों, पोतवणिकों और अन्य निकायों के परामर्श से, समय-समय पर अंतर्राष्ट्रीय समुद्री ठोस थोक कार्गो संहिता के प्रावधानों के कार्यान्वयन और प्रवर्तन के लिए प्रक्रियाओं और दिशानिर्देशों का विवरण देते हुए नोटिस जारी कर सकता है, जिसमें थोक कैरियर के सुरक्षित लदान और माल उतारने के लिए प्रक्रिया संहिता और टर्मिनल प्रतिनिधियों के लिए ठोस थोक कार्गो के लदान और माल उतारने पर मैनुअल शामिल है।

अध्याय IV

अनाज का परिवहन

16. अनाज के वहन के लिए विशेष अपेक्षाएं — (1) इन नियमों के अंतर्गत किसी अन्य लागू अपेक्षाओं के अतिरिक्त, अनाज ले जाने वाले कार्गो पोत को अंतर्राष्ट्रीय अनाज संहिता की अपेक्षाओं का अनुपालन करना होगा और अंतर्राष्ट्रीय अनाज संहिता द्वारा अपेक्षित प्राधिकार का दस्तावेज रखना होगा।

(2) अनाज लादने वाले पोत के लिए, पोत का स्वामी पत्तन देश प्राधिकारी या उसके अधिकृत अधिकारी का यह समाधान करेगा कि पोत अपनी प्रस्तावित लदान स्थिति में इन नियमों की अपेक्षाओं और अंतर्राष्ट्रीय अनाज संहिता के प्रावधानों का अनुपालन करता है।

(3) इस नियम के अंतर्गत अपेक्षित दस्तावेज के बिना कोई पोत तब तक अनाज नहीं लादेगा, जब तक कि उसका स्वामी, लदान पत्तन के प्रशासन या पत्तन देश प्राधिकारी को यह समाधान करेगा प्रदर्शित न कर दे कि प्रस्तावित लदान स्थिति में पोत पूरी यात्रा के दौरान अंतर्राष्ट्रीय अनाज संहिता के प्रावधानों का पालन करेगा।

अध्याय V

विविध

17. कार्यान्वयन और प्रवर्तन - (1) अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत नियुक्त या धारा 9 के अंतर्गत अधिकृत सर्वेक्षक इन नियमों के अंतर्गत अपेक्षित कार्गो की वहन के लिए जुड़नार और अपेक्षाओं की जांच करने के लिए पोत का सर्वेक्षण करेगा।

(2) अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत नियुक्त सर्वेक्षक, शिकायत प्राप्त होने पर या अन्यथा इन नियमों के अंतर्गत अपेक्षाओं के अनुपालन को सत्यापित करने के लिए पोत पर चढ़ सकता है।

(3) स्वामी, कंपनी, मास्टर, पोतवणिक या किसी अन्य संबंधित सेवाप्रदाता द्वारा इन नियमों का किसी भी तरह का उल्लंघन या गैर-अनुपालन, अधिनियम के तहत दंड के लिए दायी होगा।

18. फीस— अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत नियुक्त सर्वेक्षकों द्वारा किये जाने वाले सर्वेक्षण एवं प्रमाणन हेतु फीस अनुसूची में विनिर्दिष्ट अनुसार होगा।

अनुलग्नक - I

[नियम 7(3), (4) एवं (5) देखें]

सकल द्रव्यमान सत्यापित करने की विधि

1. कंटेनर में ले जाए जाने वाले कार्गो के मामले में, पोतवणिक द्वारा सकल द्रव्यमान का सत्यापन निम्नलिखित तरीकों के अनुसार किया जाएगा, अर्थात:-

(क) विधि 1— पैक किए गए कंटेनर का अंशांकित और प्रमाणित उपकरणों का उपयोग करके वजन करना; या

(ख) विधि 2— सभी पैकेज और कार्गो वस्तुओं का वजन करना, जिसमें कंटेनर में पैक किए जाने वाले पैलेट, डननेज और दूसरे सुरक्षित करने वाले सामान का वजन शामिल है, और प्रशासन प्रबंधन द्वारा मंजूर एक प्रमाणित तरीके, जिससे कंटेनर की पैकिंग पूरी हुई थी, का उपयोग करके कंटेनर का खाली वजन को अकेले वजन के योग में जोड़ना,

2. भारत के पोतवणिकों को कंटेनर के कुल वजन को सत्यापित करने के लिए इनमें से किसी भी तरीके को अपनाना होगा।

स्पष्टीकरण— पैरा 1 के खंड (क) के प्रयोजनों के लिए, "अंशांकित और प्रमाणित उपकरण" अभिव्यक्ति से कोई पैमाना, वेब्रिज या वजन करने वाले उपकरण, उठाने वाले उपकरण या कोई अन्य उपकरण जो पैक किए गए कंटेनर या पैकेजों और कार्गो वस्तुओं, पैलेटों, डननेज और अन्य पैकिंग और सुरक्षित करने वाली सामग्री के वास्तविक सकल द्रव्यमान को निर्धारित करने में सक्षम है, जो उस देश के सटीकता मानकों और अपेक्षाओं को पूरा करता है जिसमें उपकरण का उपयोग किया जा रहा है।

3. निर्दिष्ट विधियों में से किसी एक से कुल वजन सत्यापित करने के बाद, पोतवणिक, कंटेनर के सत्यापित किए गए कुल वजन की जानकारी (चेसिस या ट्रेलर पर ले जाए जाने वाले कंटेनरों को छोड़कर, जब ऐसे कंटेनर छोटी अंतरराष्ट्रीय यात्रा पर जाने वाले रो-रो पोत पर ले जाए जा रहे हों) पोत के मास्टर या उनके प्रतिनिधि को देगा, ताकि लदान से काफ़ी पहले नौभरण योजना तैयार की जा सके।

4. मास्टर या उनके प्रतिनिधि और टर्मिनल उस समय-सीमा को तय करेंगे जिसके पहले पोतवणिक को पैराग्राफ 3 में निर्दिष्ट जानकारी देनी होगी और ऐसी समय-सीमा सार्वजनिक रूप से में उपलब्ध होगी ताकि पोतवणिक सहित सभी संबंधित लोग आसानी से उसे देख सकें।

5. नौवहन कंपनी अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन परिपत्र संख्या MSC.I/Circ के पैराग्राफ 6.3.1 1475, दिनांक 9 जून, 2014 के अनुसार पोत लदान से पहले टर्मिनल प्रतिनिधि को पैकेज किए गए कंटेनर के सत्यापित सकल द्रव्यमान के बारे में जानकारी प्रदान करेगी।

6. पोतवणिक यह सुनिश्चित करेगा कि कंटेनर के सकल द्रव्यमान के बारे में जानकारी युक्त नौवहन दस्तावेज़—

(क) पोतवणिक द्वारा विधिवत अधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित है;

(ख) हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का नाम और पदनाम साफ़-साफ़ लिखा है, साथ ही संपर्क विवरण (फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी) भी दिए गए हैं; और

(ग) इसे डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग करके इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्र में प्रस्तुत किया गया है।

7. कंटेनर भेजने वाले को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि कंटेनर पैक करते या भरते समय सीटीयू संहिता, 2014 की शर्तों का पालन किया जाए।

8. कंटेनर के सकल द्रव्यमान को सत्यापित करने के लिए पैराग्राफ 1 के खंड (क) में निर्दिष्ट विधि-1 को अपनाने वाले पोतवणिक निम्नलिखित को सुनिश्चित करेंगे, अर्थात्: -

(क) कंटेनर के सकल द्रव्यमान का सत्यापन, पत्तन या टर्मिनल क्षेत्र में भीड़ से बचने के लिए पत्तन या टर्मिनल से दूर किसी स्थान पर किया जाएगा;

(ख) कंटेनर का वजन अधिमानतः कंटेनर भरण स्थल या कंटेनर नौभार केन्द्र या अंतर्देशीय कंटेनर डिपोर्ट पर, या पत्तन या टर्मिनल के रास्ते में किया जाएगा;

(ग) कंटेनर का सकल द्रव्यमान पता लगाने के लिए उपयोग किए जाने वाले वेब्रिज या तौल उपकरण पैराग्राफ 10 में निर्दिष्ट अपेक्षाओं का अनुपालन करेंगे;

(घ) वेब्रिज या तौल उपकरणों पर प्राप्त कंटेनर का सत्यापित सकल द्रव्यमान, वेब्रिज या तौल उपकरण प्रचालक द्वारा पोतवणिक को एक छेड़छाड़-रोधी दस्तावेज़ में उपलब्ध कराया जाएगा;

(ड.) पोतवणिक--

(i) प्ररूप-1 में निर्दिष्ट सुसंगत जानकारी को एक समर्पित सुरक्षित वेबसाइट पर अपलोड करेगा;

(ii) अनुरोध किए जाने पर वेब्रिज या तौल उपकरण संचालक के छेड़छाड़-रोधी दस्तावेज़, मास्टर या उसके प्रतिनिधि को उपलब्ध करवाएगा;

(iii) कंटेनर के सकल द्रव्यमान के सत्यापन के तुरंत बाद, उपरोक्त जानकारी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मास्टर या उसके प्रतिनिधि को भेज देगा।

9. (क) कंटेनर के सकल द्रव्यमान के सत्यापन के लिए पैरा 1 के खंड (ख) में निर्दिष्ट विधि 2 को अपनाने वाले पोतवणिक को, निम्नलिखित अपेक्षाओं का अनुपालन करने के पश्चात प्रशासन से अपनी विधि को अनुमोदित करवाना होगा, अर्थात्:—

(i) पोतवणिक की विधि आईएसओ 9001:2015 मानकों, या समय-समय पर लागू ऐसे अद्यतन मानकों की अपेक्षाओं का अनुपालन करने वाली गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली का हिस्सा होगी;

(ii) पोतवणिक को विधिक माप विज्ञान विभाग द्वारा विधिवत प्रमाणित अंशांकित तौल तराजू की एक सूची रखनी होगी;

(iii) कंटेनर का स्वामी यह सुनिश्चित करेगा कि कंटेनर का खाली वजन कंटेनर पर सही ढंग से अंकित है और पोतवणिक के पास, यदि अपेक्षित हो, खाली कंटेनर के वजन को फिर से सत्यापित करने का तंत्र होगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि खाली कंटेनर का वजन कंटेनर पर अंकित खाली वजन के अनुरूप है:

परन्तु जब भी अपेक्षित हो, ऐसे पुनसत्यापन के लिए इलेक्ट्रॉनिक तौल तराजू और पुली या चेन-ब्लॉक, या दूसरी सुसंगत विधियों का संयोजन स्वीकार किया जा सकता है:

परन्तु यह कि यदि खाली कंटेनर के वास्तविक वजन और कंटेनर पर अंकित खाली वजन के

बीच कोई सुस्पष्ट विचलन देखा जाता है, तो ऐसे खाली कंटेनर को इसमें सामान भरने के लिए तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा, जब तक यह सुनिश्चित नहीं कर लिया जाता कि कंटेनर पर अंकित खाली वजन, कंटेनर के वास्तविक वजन को दर्शाता है;

(iv) पोतवणिक कंटेनर के सत्यापित सकल द्रव्यमान और इस अनुबंध के प्ररूप-1 में निर्दिष्ट दूसरी अपेक्षित जानकारी को एक समर्पित सुरक्षित वेबसाइट या अपनी वेबसाइट पर या दूसरी समर्पित सुरक्षित वेबसाइट के साथ सम्बद्ध करके अपलोड करेगा;

(v) पोतवणिक, कंटेनर के सकल द्रव्यमान को सत्यापित करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित विधि का विवरण और प्ररूप-2 में निर्दिष्ट सभी अन्य सुसंगत दस्तावेजों का विवरण क्षेत्राधिकार प्राप्त वाणिज्य समुद्री विभाग को मंजूरी हेतु मामले की प्रक्रिया के लिए लागू फीस के साथ प्रस्तुत करेगा।

(ख) क्षेत्राधिकार प्राप्त वाणिज्य समुद्री विभाग—

(i) पोतवणिक के परिसर का निरीक्षण करवाएंगा ताकि यह सत्यापित हो सके कि प्रमाणित प्रक्रिया, सम्बद्ध उपकरण आदि, पोतवणिक की 'विधि-2' की अपेक्षाओं का पालन करने की क्षमता की पुष्टि करते हैं;

(ii) निरीक्षण के सफल समापन पर, प्ररूप-2 में निर्दिष्ट रिपोर्ट को पोतवणिक की प्रमाणित प्रक्रिया को अनुमोदन प्रदान करने पर विचार करने के लिए प्रशासन को अग्रेषित करेगा।

(ग) प्रशासन द्वारा विधि 2 के लिए मंजूर की गई कंपनियों या पोतवणिक की सूची प्रशासन की वेबसाइट पर दर्शाई जाएगी।

10. (क) समर्पित सुरक्षित वेबसाइट--

(i) का सर्वर, सम्बद्ध बैकअप व्यवस्था आदि भारत में स्थित होगा;

(ii) विधि-1 या विधि-2 को अपनाने के इच्छुक के पास उसकी प्रणाली में भाग लेने वाले पोतवणिक, वेब्रिज या वजन तौलने वाले उपकरणों, टर्मिनलों, वाहकों आदि के विवरण के साथ सभी संबंधितों को वास्तविक समय में सूचना प्रदर्शित करने और इलेक्ट्रॉनिक रूप से मास्टर या उसके प्रतिनिधि को सूचना प्रेषित करने की क्षमता होगी;

(iii) समय-समय पर यथा लागू होने वाले सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणालियों की अपेक्षाओं का पालन करेगा;

(iv) नवीनतम उद्योग मानकों की अपेक्षाओं के अनुरूप नेटवर्क में या नेटवर्क से अनधिकृत पहुंच को रोकने के लिए तैयार की गई फ़ायरवॉल प्रणाली होगी;

(v) उसके पास आईएसओ 9001:2015 मानकों, या समय-समय पर यथा लागू ऐसे अद्यतन मानकों के अनुपालन की पुष्टि करने वाला वैध गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली प्रमाणपत्र होगा;

(vi) सूचना को आरंभ में वेबसाइट पर तीन वर्ष की अवधि के लिए तथा बाह्य नौभरण उपकरणों में और दो वर्ष की अवधि के लिए बनाए रखेगा;

(vii) सार्वजनिक रूप से केवल ऐसी सूचना ही उपलब्ध कराएगा जैसा प्रशासन द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किया जाए;

(viii) यह सभी सरकारी प्राधिकरणों जैसे वाणिज्य समुद्री विभाग, प्रशासन, सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद कर विभाग, पत्तन प्राधिकरण, सुरक्षा एजेंसियों आदि को कंटेनर के सकल वजन और अन्य संबंधित जानकारी बिना किसी फीस के उपलब्ध कराएगी।

(ix) प्रशासन को आवधिक पर या वार्षिक रिपोर्ट देनी होगी, जिसमें वेबसाइट के डेटाबेस में मौजूद अन्य जानकारी भी शामिल होगी; प्रशासन द्वारा मांगे जाने पर यह जानकारी बिना किसी शुल्क के उपलब्ध करानी होगी।

(ख) सेवा प्रदान करने के लिए प्रशासन द्वारा स्वीकार की गई समर्पित सुरक्षित वेबसाइटों की सूची प्रशासन की वेबसाइट पर दर्शाई जाएगी।

(ग) टर्मिनल या पत्तन या वेब्रिज प्रचालक, आदि, अकेले या मिलकर एक समर्पित वेबसाइट बना सकते हैं, ताकि इस पैरा की अपेक्षाओं के अनुसार से सभी संबंधित लोगों को कंटेनर के सत्यापित सकल द्रव्यमान के बारे में अपेक्षित जानकारी दी जा सके।

11.(क) विधि 1 और विधि 2 का उपयोग करके वेब्रिज या तोल तराजू उपकरण--

(i) इलेक्ट्रॉनिक प्रकार का होगा;

(ii) विधिक माप विज्ञान विभाग द्वारा अंशांकित तथा प्रमाणित किया गया होगा;

(iii) आईएसओ 9001: 2015 मानकों, या समय-समय पर यथा लागू ऐसे अद्यतन मानकों के अनुपालन की पुष्टि करते हुए वैध गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के रूप में प्रमाणित होगा;

(iv) यदि अपेक्षित हो, तो उसमें लदानशुदा कंटेनर के साथ-साथ ट्रेलर या ट्रक या लॉरी का वजन करने की पर्याप्त क्षमता होगी;

(v) छेड़छाड़-रोधी प्रणाली होगी जो अंशांकन के साथ छेड़छाड़ को रोक सके;

(vi) प्रशासन सत्यापित सकल द्रव्यमान के बारे में छेड़छाड़-रोधी दस्तावेज़ में जानकारी प्रदान करने की व्यवस्था होगी।

(ख) विधि-1 अथवा विधि-2 में भाग लेने के इच्छुक वेब्रिज अथवा तोल तराजू उपकरण संचालक को--

(i) प्रपत्र-3 में विनिर्दिष्ट सूचना प्रस्तुत करनी होगी।

(ii) नियमित अंतराल पर मानक बाटों से अंशांकन का सत्यापन करना होगा और ऐसे सत्यापन का ब्यौरा दर्ज किया जाएगा तथा प्राधिकृत कर्मियों द्वारा निरीक्षण के दौरान उपलब्ध कराया जाएगा।

12. कंटेनर का सत्यापित सकल द्रव्यमान, कंटेनर सुरक्षा अनुमोदन प्लेट (CSC प्लेट) पर दर्शाए गए अधिकतम सकल वजन से ज़्यादा नहीं होगा।

13. पोत के स्वामी का किसी कंटेनर को स्वीकार करने या अस्वीकार करने का निर्णय अंतिम होगा।

14. समर्पित सुरक्षित वेबसाइट तथा वेब्रिज या तोल तराजू उपकरणों का-

(क) प्राधिकृत कर्मियों द्वारा लेखापरीक्षा या निरीक्षण किया जा सकता है;

(ख) अनुपालन कार्मिकों प्रतिबंधित लगेगा।

15. कंटेनर पर सही खाली वजन अंकित करने वाले कंटेनर स्वामियों और पोतवणिकों के कंटेनर के सत्यापित सकल द्रव्यमान की घोषणा में चूक करने वाले हैं, नाम प्रशासन कार्यालय की वेबसाइट पर दर्शाए जा सकते हैं।

16. कंटेनर के सत्यापित सकल द्रव्यमान की गलत घोषणा के मामलों की सूचना प्रशासन को दी जाएगी।

प्ररूप – 1

[अनुबंध 1 का पैरा 8(ड.)(1) देखें]

कंटेनर के सत्यापित सकल द्रव्यमान के बारे में जानकारी

क्रम संख्या	जानकारी का विवरण	विवरण
(1)	(2)	(3)
1*	पोतवणिक का नाम	
2*	पोतवणिक का पंजीकरण/अनुज्ञप्ति नंबर (आईसीसी नंबर/सीआईएन नंबर) **	
3*	दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत पोतवणिक अधिकारी का नाम और पदनाम	
4*	पोतवणिक के अधिकृत अधिकारी की 24x7 संपर्क जानकारी	
5*	कंटेनर नंबर	
6*	कंटेनर का आकार (टीईयू/एफईयू/अन्य)	
7*	सीएससी प्लेट के अनुसार कंटेनर का अधिकतम स्वीकार्य वजन	
8*	वेब्रिज पंजीकरण नंबर और वेब्रिज का पता	
9*	कंटेनर का सत्यापित सकल द्रव्यमान (तारीका-1/तारीका-2)	
10*	वजन करने की तारीख और समय	
11*	वजन की पची करने का नंबर	
12	प्रकार (सामान्य/रीफ़र/खतरनाक/अन्य)	
13	यदि खतरनाक है, तो यूएन नंबर, आईएमडीजी श्रेणी	

पोतवणिक के अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर:

नाम: _____

तारीख: _____

टिप्पणी:

* अनिवार्य खानों को दर्शाता है

** जिन पोतवणिक के पास आईसीसी नंबर या सीआईएन नंबर नहीं है, वे इस तरह जानकारी दे सकते हैं:

कंपनी – पेन नंबर.

व्यक्ति:

भारतीय नागरिक – आधार नंबर

विदेशी नागरिक – पासपोर्ट नंबर और पासपोर्ट जारी करने वाला देश।

प्ररूप – 2

[अनुबंध- 1 का पैरा 9(क)(v) और (ख)(ii) देखें]

विधि- 2 अपनाने के लिए पोतवणिक के आकलन और अनुमोदन के लिए जांच शीट

क्रम संख्या	अपेक्षाएं	अनुपालन	टिप्पणियाँ
(1)	(2)	(3)	(4)
1	मूलभूत अपेक्षितएं		
1	पोतवणिक का नाम		
2	संगठन के स्वामी/निदेशकों/स्वामी/ साझेदार/न्यासी आदि के नाम		(दस्तावेज़ी साक्ष्य संलग्न करें)
3	संगठन [कंपनी/सोसाइटी/साझेदारी आदि] के पंजीकरण की तिथि		1. संस्था के निगमन प्रमाण-पत्र की प्रति। 2. ज्ञापन और संगम अनुच्छेद /अन्य संबंधित दस्तावेज़ों की प्रति संलग्न करें [यथा लागू]
4	दस्तावेज़ों पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत निदेशक/अधिकारी का नाम.....रू.		
5	फीस: संबंधित MMD के पक्ष में Rs. /- का डिमांड ड्राफ्ट/ऑनलाइन भुगतान।		आकलन और प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए
6	संगठन का पंजीकृत पता या स्थान, टेलीफोन/फ़ैक्स/ई-मेल		
7	संचार के लिए पता (24x7) टेलीफोन/फ़ैक्स/ई-मेल		
8	सुसंगत दस्तावेज़ों के साथ परिसर का खाका (भरण का स्थान)		खाका योजना की प्रति संलग्न करें।
9	परिसर के स्वामित्व की जानकारी	पट्टा विलेख की वैधता: क्या पट्टा विलेख में अधिकार देने वाला प्रावधान है	यदि स्वामित्व है: तो स्वामित्व के दस्तावेज़ों की प्रति संलग्न करें।
		आगे की अवधि के लिए पट्टा के नवीकरण का प्रावधान।	उचित प्राधिकारी के पास विधिवत पंजीकृत दस्तावेज संलग्न करें

10	संगठन परिसर के पास संबंधित स्थानीय अधिकारियों (जैसे यथा लागू नगर पालिका/ पंचायत/औद्योगिक आदि) से ज़रूरी अनुमतियां होने का प्रमाण होना चाहिए		दुकान एवं प्रतिष्ठान पंजीकरण, नगर पालिका अनुज्ञप्ति आदि, यथा लागू, संलग्न करें
11	आईएसओ 9001:2015 मानकों की आवश्यकताओं को पूरा करने वाली गुणवत्तापूर्ण प्रणाली का प्रमाण-पत्र	 वैध तारीख तक	प्रमाण-पत्र की प्रति संलग्न करें
12	अंशकित इलेक्ट्रॉनिक वज़नी उपस्करों का विवरण		विधिक मापन विभाग से प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें
13	खाली कंटेनर को उठाने के लिए लिफ्टिंग हुक		सुरक्षित कार्य भार निर्दिष्ट करें
14	चेन ब्लॉक		सुरक्षित कार्य भार निर्दिष्ट करें
15	परिसर में पैलेट आदि समेत अलग-अलग चीज़ों को तौलने के लिए काफ़ी जगह होनी चाहिए।		
16	प्ररूप -1 में दी गई जानकारी वाला छेड़छाड़ रोधी दस्तावेज़ जारी करने की क्षमता।		छेड़छाड़-रोधी दस्तावेज़ की प्रति जमा करनी होगी।
17	स्वतन्त्र वेबसाइट पर जानकारी दर्शाने की क्षमता/स्वतन्त्र वेबसाइट के साथ तालमेल।		किसी स्वतंत्र वेबसाइट के साथ टाई-अप का समझौता जमा करना होगा।
18	कंटेनर वीजीएम डेटा को वेबसाइट, टर्मिनल और पोत मास्टर को डिजिटली भेजने की क्षमता।		

एमएमडी सर्वेक्षक की सिफ़ारिशें/टिप्पणियाँ:

संलग्नकों की सूची:

एमएमडी का सर्वेक्षक

प्रमुख अधिकारी की टिप्पणियाँ:

प्ररूप - 3

[उपाबंध- 1 का पैरा 11(ख) देखें]

वेब्रिज के बारे में जानकारी

क्रम संख्या	जानकारी का ब्यौरा	विवरण
(1)	(2)	(3)
1	वेब्रिज प्रचालक का नाम	
2	वेब्रिज का पता	
3	विधि मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी वेब्रिज पंजीकरण/अनुज्ञप्ति नंबर	
4	वेब्रिज का विवरण – प्रकार: मैकेनिकल / इलेक्ट्रॉनिक मेक	
	मॉडल	
	क्रम संख्या	
5	विधि मौसम विज्ञान विभाग से जारी वेब्रिज अंशांकन प्रमाण-पत्र और प्रमाण-पत्र नंबर और जारी करने की वैधता की तारीख	प्रमाणपत्र संख्या जारी होने की वैधता तारीख
6	वेब्रिज क्यूएमएस प्रमाण-पत्र जो ISO 9001:2015 या ऐसे अद्यतन मानकों के अनुपालन की पुष्टि करता है जो समय-समय पर लागू हों।	प्रमाणपत्र संख्या जारी होने की वैधता तारीख
7	क्या वेब्रिज में आयुक्त कंटेनर के साथ ट्रेलर/ट्रक/लॉरी का वजन करने की पूरी क्षमता है, यदि अपेक्षित हो?	
8	क्या वेब्रिज में छेड़छाड़ रोधी दस्तावेज में सत्यापित सकल द्रव्यमान के बारे में जानकारी देने का उपाबंध है?	

वेब्रिज प्रचालक के अधिकृत व्यक्ति के

हस्ताक्षर

नाम:

तारीख: _____

उपाबंध - II
[नियम 13(3) देखें]

आईएमएसबीसी संहिता के अनुसार समुद्री प्रयोगशालाओं का अनुमोदन

1. सभी समुद्री प्रयोगशालाओं जो अंतरराष्ट्रीय समुद्री ठोस थोक कार्गो सहित के अनुसार पोतों पर ले जाए जाने वाले कार्गो के परीक्षा में लगी हैं, और इस प्रयोजन के लिए प्रशासन से अप्रूवल चाहती हैं, उन्हें प्ररूप – 4 में निर्दिष्ट शर्तों को मानना होगा।
2. समुद्री प्रयोगशालाओं को प्रशासन से निरीक्षण और अनुमोदन के लिए प्रशासन और अधिकार क्षेत्र वाले वाणिज्य समुद्री विभाग से संपर्क करना होगा।

प्ररूप- 4

[उपाबंध- II का पैरा 1 देखें]

आईएमएसबीसी कोड के अनुसार प्रयोगशालाओं के आकलन और अनुमोदन के लिए जांच शीट

क्रम संख्या	अपेक्षाएं	अनुपालन	टिप्पणियाँ
(1)	(2)	(3)	(4)
क	मूलभूत अपेक्षाएं		
1.	संगठन का नाम [समुद्री प्रयोगशाला]		
2.	समुद्री प्रयोगशाला के स्वामी संगठन के स्वामियों/ निदेशकों/ स्वत्वधारी/ न्यासियों आदि के नाम।		दस्तावेज़ी साक्ष्य संलग्न करें
3.	संगठन [कंपनी / सोसायटी आदि] के पंजीकरण की तारीख।		1. संस्था के निगमन प्रमाण-पत्र की प्रति संलग्न करें। 2. ज्ञापन और संगम अनुच्छेद /अन्य संबंधित दस्तावेज़ों की प्रति संलग्न करें [यथा लागू]
4.	फीस: ऑनलाइन भुगतान की जानकारी / संबंधित एमएमडी के पक्ष में.....रु. का डिमांड ड्राफ्ट		
5.	संपर्क के लिए पता टेलीफोन / फ़ैक्स / ई-मेल		
6	प्रयोगशाला के स्थान का पता टेलीफोन / फ़ैक्स / ई-मेल		
7	सुसंगत दस्तावेज़ों के साथ परिसर का खाका		लेआउट प्लान की प्रति संलग्न करें।
8	समुद्री प्रयोगशाला के परिसर स्वामित्व की जानकारी	पट्टा विलेख की वैधता: क्या पट्टा विलेख में पट्टा आगे की अवधि के लिए नवीकरण करने का उपबंध है?	यदि स्वामित्व है: तो स्वामित्व के दस्तावेज़ों की प्रति संलग्न करें। यदि पट्टा लीज पर है: तो संबंधित अधिकारी के पास विधिवत पंजीकृत पट्टा विलेख की प्रति संलग्न करें।
9	समुद्री प्रयोगशाला परिसर के पास संबंधित स्थानीय अधिकारियों (नगर पालिका / पंचायत / औद्योगिक आदि, यथा लागू) से जरूरी अनुमतियां होनी चाहिए।		दुकान और स्थापन पंजीकरण, नगरपालिका अनुज्ञप्ति आदि, जो भी लागू हो, संलग्न करें।

ख	कार्मिक (अर्हता, प्रशिक्षण और व्यावहारिक अनुभव)		
1.	सक्षम व्यक्ति (समुद्री प्रयोगशाला के प्रमुख) 1. योग्यता और अनुभव: नौव्यापार का अधिकारी जिसके पास निम्नलिखित अनुभव हो: न्यूनतम 2 वर्ष के रैंक अनुभव के साथ दूसरा मेट एफजी सीओसी। या कार्गो सर्वेक्षण करने में कम से कम 24 महीने के अनुभव के साथ एमईओ श्रेणी I सीओसी। 2. एनएबीएल मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला में प्रत्येक उपकरण (फ्लो टेबल और पेनेट्रेशन परीक्षण) के साथ 25 से अधिक परीक्षण किए हों। 3. एनएबीएल मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला में सैंपल संभालने का प्राथमिकता के तौर पर 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। एफएमपी और नमी से संबंधित। 4. आईएसओ 9001:2008 / 9001:2015 के लिए आन्तरिक गुणवत्ता लेखा-परीक्षा का प्रशिक्षण	1. नाम 2. सीओसी ग्रेड 3. सीओसी नंबर 4. आयु 5. अनुभव	1. सीओसी की प्रति प्रस्तुत करें। 2. अनुभव प्रमाण-पत्र की प्रति प्रस्तुत करें। 2.1 यदि किसी कार्गो सर्वेक्षण करने वाले संगठन के लिए काम कर रहे हैं – तो उस संगठन से मिला पत्र प्रस्तुत करें। 2.2 यदि स्वयं का काम करते हैं – तो स्वामी के हस्ताक्षर वाली सबसे पुरानी कार्गो सर्वेक्षण रिपोर्ट की प्रति प्रस्तुत करें।
2	तकनीकी प्रमुख/रासायनज्ञ 1. रसायन शास्त्र/भौतिक विज्ञान में कम से कम स्नातक हों। 2. आईएमएसबीसी संहिता में प्रशिक्षण लिया हो। 3. प्रयोगशाला प्रबंधन (आईएसओ 17025:2005 के अनुसार) में प्रशिक्षण लिया हो। 4. माप में अनिश्चितता के आकलन में प्रशिक्षण लिया हो।		प्रमाण-पत्र की प्रतियां संलग्न करें।

	5. एनएबीएल मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला में प्रत्येक उपकरण (फ्लो टेबल / पेनेट्रेशन परीक्षण / संशोधित प्रॉक्टर / फैगरबर्ग परीक्षण, यथा लागू) के साथ 25 से ज़्यादा परीक्षण किए हों। 6. एनएबीएल मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला में एफएमपी और नमी के परीक्षण से जुड़े सैंपल संभालने का कम से कम 6 महीने का अनुभव हो।		
ग	अवसंरचना		
1	परिसर की दीवारों पर उचित ढंग से कोटिंग/पेंट किया जाना चाहिए।		
2	परिसर में सिरमिक टाइल्स/ग्रेनाइट/मोज़ेक या इसी तरह की सामग्री की आधुनिक फ्लोरिंग होनी चाहिए।		
3	परिसर में पर्याप्त रोशनी होनी चाहिए।		
4	परिसर में हवा आने-जाने की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए।		
5	प्रयोगशाला को 'नेशनल राष्ट्रीय परीक्षण और अंशांकित प्रत्यायन बोर्ड प्रयोगशालाओं' (एनएबीएल) से मान्यता प्राप्त होनी चाहिए।		एनएबीएल द्वारा जारी मान्यता प्रमाण-पत्र संलग्न करें।
6	प्रयोगशाला के पास आईएसओ 9001:2008 या ISO 9001:2015 के अधीन प्रमाणन होना चाहिए।		प्रमाण-पत्र की प्रतियां संलग्न करें।
7	प्रयोगशाला के पास आवश्यकता के अनुसार निम्नलिखित अद्यतन/संशोधित प्रकाशन और मानक होने चाहिए (जैसे आईएमएसबीसी संहिता(लेटेस्ट एडिशन), एएसटीएम सी230/सी230एम, आईएसओ 3082 (आयरन ओर की सैंपलिंग और सैंपल तैयार करना), आईएस 1405 – 2010 आयरन ओर की सैंपलिंग के तरीके, प्रयोगशाला प्रबंधक प्रणाली 17025:2005 की समझ, विशिष्ट गुरुत्वाकर्षण IS 11896 का पता लगाना, आदि कुछ ऐसे प्रकाशन हैं जिन्हें जारी रखना अपेक्षित है)।		प्रकाशनों और मानकों की पूरी सूची संलग्न करें।

8	प्रयोगशाला में आग बुझाने के आवश्यक उपकरण होने चाहिए (वहाँ हॉट एयर ओवन के उपयोग को देखते हुए)।		
घ	फ़्लो टेबल परीक्षण		
1	कार्य क्षेत्र: फ़्लो टेबल सामान्यता खनिज सान्द्र या ऐसे दूसरे परिष्कृत सामग्री के लिए सही है जिनके कणों का आकार ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिमी हो। यह उन सामग्री के लिए भी उपयोग किया जा सकता है जिनके कणों का आकार 7 मिमी तक हो। संभव है कि यह इससे ज़्यादा मोटे कणों वाले या ज़्यादा क्ले (चिकनी मिट्टी) वाले सामग्री के लिए। कुछ सामग्री के लिए संतोषजनक नतीजे न दे।		
	यदि किसी प्रश्रुत सामग्री के लिए 'फ़्लो टेबल टेस्ट' सही नहीं है, तो पत्तन देश के प्राधिकारी द्वारा मंज़ूर किए गए तरीकों का उपयोग किया जाना चाहिए।		
2	उपस्कर		फ़ोटो संलग्न करें।
3	मानक फ़्लो टेबल और फ़्रेम		
4	फ़्लो टेबल का फ़्रेम अच्छी गुणवत्ता के ढलाई किए गए लौह से बना होना चाहिए। इसमें तीन रिब होने चाहिए जो फ़्रेम की पूरी ऊंचाई तक फैले हों और एक-दूसरे से 120 डिग्री की दूरी पर हों।		
5	फ़्रेम के ऊपरी और निचले हिस्सों को उपयुक्त रूप से घिसकर तैयार किया जाना चाहिए ताकि क्रमशः शाफ़्ट, कॉलर और स्टील प्लेट के साथ पूरी तरह से संपर्क बना सकें।		
6	टेबल-टॉप को अच्छी तरह से मशीनीकृत पीतल या कांस्य से बनाया जाना चाहिए।		
7	टेबल-टॉप का आकार 254 मिमी (+/- 2.5 मिमी) × 8 मिमी होना चाहिए। टेबल-टॉप को नीचे की तरफ छह रिब्स से टिकाया जाना चाहिए।		
8	टेबल-टॉप को नीचे की तरफ छह रिब्स से टिकाया जाना चाहिए।		

9	शाफ्ट को टेबल-टॉप से स्कू श्रेड की मदद से जोड़ा जाना चाहिए।		
10	फ्रेम में शाफ्ट और बोरिंग के बीच प्ले 0.26 मिमी के अंदर होना चाहिए।		
11	शाफ्ट को गिरने के बाद कैम के 120 डिग्री घूमने पर ही। कैम के संपर्क में आना चाहिए।		
12	ड्रॉप की ऊंचाई एएसटीएम मानक सी230 – (12.7 मिमी) के अनुसार होनी चाहिए।		
13	ड्रॉप काउंटर 25 ड्रॉप/मिनट पर काम करना चाहिए।		
14	फ्लो टेबल पर सही निशान होने चाहिए, जैसा कि आईएमएसबीसी संहिता में वर्णित है।		
15	फ्लो टेबल के घूमने वाले कैम को कसकर लगाया जाना चाहिए।		
16	फ्लो टेबल का संस्थापन		
17	फ्लो टेबल फ्रेम को कम से कम 25 मिमी मोटी और 250 मिमी चौकोर ढलाई किए हुए लौह या स्टील प्लेट से मज़बूती से बंद किया जाना चाहिए।		
18	इस प्लेट की ऊपरी सतह की मशीनिंग करके चिकना और समतल बनाया जाना चाहिए।		
19	आईएमएसबीसी संहिता के अनुसार, प्लेट को कंक्रीट के पेडस्टल के ऊपरी हिस्से पर मज़बूती से लगाया जाना चाहिए और यह आंशिक रूप से कंक्रीट के पेडस्टल में धंसा हुआ होना चाहिए।		
20	पेडस्टल को बेस प्लेट पर उल्टा करके ढाला जाना चाहिए।		
21	बेस प्लेट और पेडस्टल के बीच हमेशा धनात्मक सम्पर्क होना चाहिए।		
22	फ्लो टेबल को लम्बत धूरी में समतल किया जाता है (कोई अतिरिक्त प्लेट या नट उपयोग नहीं करना है)।		

23	पेडस्टल की ऊँचाई, ऊपरी चौकोर हिस्से और निचले चौकोर हिस्से एएसटीएम मानक सी 230 के अनुसार होना चाहिए।		
24	पेडस्टल की ऊँचाई 625 से 750 मिमी के बीच होनी चाहिए।		वास्तविक ऊँचाई मिमी
25	पेडस्टल के ऊपरी हिस्से का चौकोर आकार 250 से 275 मिमी के बीच होना चाहिए।		वास्तविक ऊँचाई मिमी
26	निचले हिस्से का चौकोर आकार 375 से 400 मिमी के बीच होना चाहिए।		वास्तविक ऊँचाई मिमी
27	पेडस्टल का निर्माण एक ही एकाक्षम ढाँचे के रूप में होना चाहिए, अर्थात् पेडस्टल कंक्रीट की एक ही ढलाई से बना होना चाहिए।		
28	पेडस्टल के प्रत्येक कोने के नीचे एक उपयुक्त और मज़बूत कॉर्क पैड लगाया जाना चाहिए।		
29	फ्लो टेबल के टॉप के स्तर, पेडस्टल की मज़बूती और टेबल बेस व पेडस्टल प्लेट में बोल्ट और नट की कसावट की समय-समय पर जाँच की जानी चाहिए।		
30	टेबल के सीधे शाफ्ट को साफ़ रखना चाहिए और उस पर हल्का तेल लगाना चाहिए।		
31	टेबल टॉप और टेक देने वाले फ्रेम के सम्पर्क छोर के बीच कोई तेल नहीं होना चाहिए।		
32	यदि टेबल को कुछ समय से चलाया नहीं किया गया है। तो इसका उपयोग करने से ठीक पहले इसे एक दर्जन या उससे ज़्यादा बार ऊपर उठाना और नीचे गिराना चाहिए।		
33	रोटेटिंग कैम को ठीक से चिकनाहट दी जानी चाहिए।		
34	गियर बॉक्स को ठीक से चिकनाहट दी जानी चाहिए।		
35	ढाँचा		
36	फ्लो सैंपल की ढलाई के लिए उपयोग होने वाला ढाँचे कांस्य या पीतल में ढला होना चाहिए।		
37	ढाँचे का माप मानक के अनुसार होना चाहिए, अर्थात् ऊपर का व्यास 69.8 मिमी ± 0.5 मिमी होना चाहिए।		वास्तविक व्यास मिमी

38	बेस और टॉप की सतहें एक-दूसरे के समानांतर और शंकु की उर्ध्व लम्बत धूरी के साथ समकोण (90 डिग्री) पर होनी चाहिए।		
39	ढांचे की दीवार की मोटाई कम से कम 5 mm होनी चाहिए।		वास्तविक व्यास मिमी
40	ढांचे के ऊपरी किनारे के बाहरी हिस्से को इस तरह आकार दिया जाना चाहिए कि ढांचे को आसानी से उठाने के लिए एक जुड़ा हुआ कॉलर बन सके।		
41	ढांचे की सभी सतहों को मशीनिंग करके चिकना बनाया जाना चाहिए।		
42	थापी		
43	थापी को आईएमएसबीसी संहिता की सिफारिशों के अनुसार डिज़ाइन और बनाया जाना चाहिए।		
44	तराजू और वज़न		
45	तराजू को नीचे दी गई अपेक्षाओं के अनुसार होना चाहिए। उपयोग होने वाले तराजू पर, लदान पर अनुमत्य भिन्नता 2000 जीएमएस ± 2.0 जीएमएस होनी चाहिए।		अंशांकन प्रमाणपत्र साथ संलग्न करें।
46	तौल तराजू को उचित स्थिति में रखना चाहिए।		
47	तौल तराजू को एक सपाट जगह पर रखना चाहिए।		
48	वज़न को एनएबीएल से मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से अंशांकित करवाना चाहिए।		अंशांकन प्रमाणपत्र साथ संलग्न करें।
49	कांच का क्रमांकित माप सिलेंडर और ब्यूरेट होना चाहिए।		अंशांकन प्रमाणपत्र साथ संलग्न करें।
50	लगभग 30 सीएम व्यास वाला अर्ध-गोलाकार मिश्रणकारी कटोरा, रबर के दस्ताने और बर्तन या पैन सुखाने की जगह। विकल्प के रूप में मिश्रण के काम के लिए इसी क्षमता वाले ऑटोमैटिक मिक्सर का भी उपयोग किया जा सकता है। इस मामले में, यह ध्यान रखना अपेक्षित है कि ऐसे मैकेनिकल मिक्सर के उपयोग से परीक्षण सामग्री के कणों का आकार या उसका गाढ़ापन कम न हो जाए।		

51	लगभग 110 डिग्री सेल्सियस तक नियंत्रित तापमान वाला एक ड्राइंग ओवन। इस ओवन में हवा का संचार नहीं होना चाहिए।		अंशांकन प्रमाणपत्र साथ संलग्न करें।
52	क्या परीक्षण करने की प्रक्रिया आईएमएसबीसी संहिता में निर्दिष्ट किए गए अनुसार है?		
ड.	भेदन परीक्षण		
1	कार्यक्षेत्र: भेदन परीक्षण आम तौर पर खनिज सान्द्र, इसी तरह की सामग्री और 25 मिमी अधिकतम आकार वाले कोयले के लिए उपयुक्त है। 25 मिमी इस प्रक्रिया में, एक बेलनाकार बर्तन में रखे सैंपल पर 6 मिनट तक 2 जी आरएमएस $\pm 10\%$ (जी = गुरुत्वाकर्षण त्वरण) का लम्बत कंपन किया जाता है। जब सतह पर रखे बिट के धंसने की गहराई 50 मिमी से ज़्यादा हो जाती है, तो यह माना जाता है कि सैंपल में नमी की मात्रा 'फ्लो मॉइस्चर पॉइंट' से ज़्यादा है।		
2	उपस्कर		फोटो संलग्न करें।
3	परीक्षण के उपकरण में ये चीज़ें शामिल हैं: कंपन टेबल, बेलनाकार बर्तन, सूचक (पेनेट्रेशन बिट्स और होल्डर), थापी और सहायक उपकरण।		
4	भेदन मशीन में एक कंपन करने वाला उपकरण और उस पर एक टेबल होनी चाहिए, जिस पर बेलनाकार बर्तन को कसा जा सके। कंपन उपकरण में 30 किग्रा. के भार को 50 हर्ट्ज या 60 हर्ट्ज की आवृत्ति पर 3 जी आरएमएस या उससे ज़्यादा के त्वरण के साथ कंपन पैदा करने की क्षमता होनी चाहिए, और इसके त्वरण स्तर को अनुकूल करने के लिए इसे नियंत्रित किया जा सके।		3 ग्रा तक के एक्सेलरेशन की जाँच अंशकित एक्सेलेरोमीटर से की जानी चाहिए।
5	बेलनाकार बर्तन उचित रूप से मज़बूत, गैर-चुम्बकीय, अभेद्य और हल्की सामग्री जैसे ऐक्रेलिक या विनाइल क्लोराइड से बने होने चाहिए।		
6	भेदन बिट्स पीतल के बने होते हैं। सान्द्र के लिए बिट का द्रव्यमान 177 ग्राम		

	पर रखा जाना चाहिए। जब सैंपल में मोटे कण हों, तो गलत आकलन लगाने से बचने के लिए सलाह दी जाती है कि सतह पर एक ही दबाव वाले दो बिट्स रखे जाएं।		
7	रॉड को कम से कम घर्षण के साथ बेलनाकार बर्तन के केंद्र तक ले जाने के लिए एक होल्डर बनाया जाना चाहिए। जब दो बिट्स का उपयोग किया जाता है, तो उन्हें उपयुक्त ढंग से लगाया जाना चाहिए।		
8	बेलनाकार बर्तन और भेदन सूचक का चुनाव परीक्षण सैंपल की प्रकृति और स्थिति, जैसे कि कणों का आकार और आयतन घनत्व, के आधार पर किया जाना चाहिए।		
9	क्या परीक्षण करने की प्रक्रिया आईएमएसबीसी संहिता में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार है?		
च	लौह अयस्क के सूक्ष्म तत्वों फाइनस के लिए आशोधित प्रॉक्टर/फैगरबर्ग परीक्षण प्रक्रिया		
1.	अनुमोदन हेतु पात्रता: उपांतरित प्रॉक्टर / फैगरबर्ग परीक्षण की अनुमोदन के लिए आवेदन करने से पहले, प्रयोगशाला के पास कम से कम 1 वर्ष तक फ्लो टेबल परीक्षण के लिए डीजीएस का अनुमोदन होना चाहिए। हालाँकि, यदि प्रयोगशाला के पास फ्लो टेबल परीक्षण के अलावा भेदन परीक्षण करने की भी अनुमोदन है, तो वे काम पूरा होने पर अनुमोदन के लिए आवेदन कर सकते हैं। फ्लो टेबल परीक्षण के लिए वे निदेशालय द्वारा अनुमोदन की तारीख से 6 महीने पूरे होने पर मंजूरी के लिए आवेदन कर सकते हैं।	1. फ्लो टेबल टेस्ट की अनुमोदन की तारीख 2. पेनेट्रेशन टेस्ट की अनुमोदन की तारीख अनुमोदन के प्रमाण-पत्र की प्रति साथ में लगानी होगी।	
2	लौह अयस्क के सूक्ष्म तत्वों के लिए आशोधित प्रॉक्टर/फैगरबर्ग परीक्षण करने के लिए एनएबीएल से प्रयोगशाला की मान्यता। आशोधित प्रॉक्टर और फ़ैगरबर्ग परीक्षण के लिए एनएबीएल मान्यता की वैधता अवधि है। एनएबीएल प्रमाण-पत्र संलग्न करें।		
3	विधि और परिणामों का सत्यापन: प्रयोगशाला को आशोधित प्रॉक्टर और	सत्यापित किए जाने वाले अलग-अलग टेस्ट तरीकों	डेटा और अंतर का ग्राफ़ संलग्न करें।

	फैगरबर्ग परीक्षण का उपयोग करके कम से कम 50 परीक्षण करने चाहिए। साथ ही, परिणामों का सत्यापन के लिए, उसी सैंपल के परिणामों की तुलना फ्लो टेबल परीक्षण (एफटीटी) और भेदन टेबल परीक्षण (पीटीटी) के परिणामों से करते हुए तुलना चार्ट तैयार करने चाहिए।	के बीच मिले अंतर का डेटा और ग्राफ़।	
	अपेक्षित अतिरिक्त उपस्कर [फ्लो टेबल परीक्षण और भेदन टेबल परीक्षण की अपेक्षाओं के अलावा]		
4	संघनन सिलेंडर एक सिलिंड्रिकल लोहे का ढांचा जिसमें एक हटाने योग्य एक्सटेंशन पीस होता है जिसका अंदर का आयतन 1000 से.मी ³ होता है।	प्रॉक्टर उपकरण की अपेक्षित विशेषताओं के लिए आईएमएसबीसी संहिता के चित्र 1.3.2 से मिलान किया जाना है।	फोटो संलग्न करें।
5	संघनन घन यह एक संघनन औजार है जिसे इसके निचले सिरे पर लगे एक खुले पाइप से ले जाया जाता है। घन का वज़न 150 ग्राम है जिसे 50 मिमी व्यास वाले बिट से उपयोग किया जा सकता है। घन को गिराने की ऊंचाई 15 से.मी है।	आईएमएसबीसी संहिता के चित्र 1.3.2 से सत्यापित किया जाना है, कॉम्पैक्शन हैमर की अपेक्षित विशेषताएँ।	फोटो संलग्न करें।
6	पाइक्रोमीटर (ठोस चीज़ों की मटीरियल डेंसिटी मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक उपकरण)		1. फोटो संलग्न करें 2. अंशांकन प्रमाण-पत्र संलग्न करें।
7	पाइक्रोमीटर के लिए उपयुक्त कंपायमान यदि पाइक्रोमीटर को डिजाइन उपयुक्त कंपन हो सकती है, तो इस प्रयोजन के लिए भेदन टेबल को बदला जा सकता है। (सैंपल में सभी खाली जगह हटाने के लिए)	कृपया घनत्व की गणना के लिए उपयुक्त मानक देखें।	फोटो संलग्न करें।

एमएमडी सर्वेक्षक की सिफारिशें / टिप्पणियाँ:

संलग्नकों की सूची

एमएमडी के सर्वेक्षक

प्रधान अधिकारी की टिप्पणियाँ

अनुसूची
[नियम 18 देखें]

वाणिज्य पोत परिवहन (कार्गो और तेल ईंधन का वहन) नियम, 2026 के संबंध में निर्धारित फीस

क्रम संख्या	मद	सेवा	शुल्क (भारतीय रुपया)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	सर्वेक्षण या निरीक्षण	इन नियमों के तहत यथा अपेक्षित सत्यापन के लिए सर्वेक्षक का पोत पर जाना निरीक्षण टिप्पणियों के बाद कोई भी अपेक्षित दौरा	6,000 2,000 (प्रति दौरा)
2	अनुमोदन	कार्गो सुरक्षित करने का मैनुअल	50,000
3	अनुमोदन	कार्गो सुरक्षित करने वाली जुड़नार जिसमें अनाज के लिए जुड़नार भी शामिल हैं	30,000
4	अनुमोदन	अनाज स्थिरता पुस्तिकाएं 5,000 जीटी तक के पोतों के लिए 5,000 जीटी से अधिक के पोतों के लिए	80,000 80,000 और साथ में प्रत्येक अतिरिक्त 100 GT के लिए 1,000, लेकिन अधिकतम 1,60,000 तक।
5	प्रमाणन	प्राधिकार-पत्र (अनाज)	30,000
6	आईएमएसबीसी संहिता के अनुसार कार्गो परीक्षण के लिए समुद्री प्रयोगशाला की अनुमोदन	निरीक्षण के लिए समुद्री प्रयोगशालाओं का दौरा पुनः निरीक्षण, टिप्पणियों के समाधान आदि के लिए बाद में अपेक्षित कोई भी दौरा	6,000 2,000 (प्रति दौरा)
7	कंटेनरों के वीजीएम के लिए पोतवणिक की अनुमोदन	निरीक्षण टिप्पणियों के लिए पोतवणिक के परिसर का दौरा पुनः निरीक्षण, ऑब्जर्वेशन को बंद करने आदि के लिए बाद में किए जाने वाले अपेक्षित दौरे	6,000 2,000 (प्रति दौरा)
8	छुट्टियाँ और समयोपरि फीस	छुट्टी और समयोपरि (सुबह 09:30 बजे से पहले या शाम 06:00 बजे के बाद) की फीस	10,000

[फा. सं. एसवाई-19014/199/2025-एमजी-पार्ट(11)]

वेंकटेशपति एस, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PORTS, SHIPPING, AND WATERWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 2nd September, 2026

G.S.R. 774(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1), clauses (a), (b) and (c) of sub-section (2) of section 130 and sub-section (1) of section 319 read with section 116 and clause (f) of sub-section (2) of section 123 of the Merchant Shipping Act, 2025 (24 of 2025) and in supersession of the Merchant Shipping (Carriage of Cargo) Rules, 1995, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

CHAPTER I**PRELIMINARY**

1. Short title and commencement. — (1) These rules may be called Merchant Shipping (Carriage of Cargoes and Oil Fuels) Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application. — Unless otherwise specified in the Act or any other rule made thereunder, these rules shall apply to

(1) carriage of cargoes (except liquids in bulk or gases in bulk) which owing to their particular hazards to ships or person on board, require special precautions to be taken;

(2) all Indian ships, except the ships covered under Part XIII of the Act, carrying or about to carry cargoes specified in these rules anywhere;

(3) all ships other than Indian ships when such ships carrying or about to carry cargoes specified in these rules is within India, including coastal waters, ports or places in India;

(4) all Indian ships of below 500 gross tonnage, in case the Administration by specific or general order or circular in writing specify in this behalf the extent or permit of such measures to ensure reasonable and equivalent safety of such ships taking into account the nature and conditions of sheltered voyage.

3. Definitions. — (1) In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) “Act” means the Merchant Shipping Act, 2025 (24 of 2025);

(b) “Administration” means the Director General of Maritime Administration;

(c) “cargo items” shall have the same meaning as assigned to the term “cargo” in the International Convention for Safe Containers, 1972, as amended, and includes any goods, wares, merchandise, liquid, gases, solids and articles of every kind whatsoever carried in containers pursuant to a contract of carriage, but does not include ship’s equipment, supplies, spare parts or stores related thereto, carried in containers;

(d) “cargo transport unit” means a freight container, swap body, vehicle, railway wagon or any other similar unit in particular when used in intermodal transport;

(e) “cargo unit” means a vehicle, container, flat, pallet portable tank, packaged unit or any other entity etc., and loading equipment or part thereof which belongs to the ship but is not fixed to the ship;

(f) “Code of Practice for the Safe Loading and Unloading of Bulk Carriers” means the Code of Practice for the Safe Loading and Unloading of Bulk Carriers including the manual on loading and unloading of solid bulk cargoes for terminal representatives adopted by the International Maritime Organisation Resolution A.862(20) as amended from time to time, incorporated as supplement to the International Maritime Solid Bulk Cargoes Code;

(g) “competent authority” means the Administration or any person authorised by the Administration to perform any function under these rules;

(h) “container” means container as defined in the International Convention for Safe Containers, 1972;

(i) “CTU Code” means the Code of Practice for Packing of Cargo Transport Units, 2014 which is endorsed by International Maritime Organisation, International Labour Organisation, and United Nations Economic Commission for Europe, as amended from time to time;

(j) “document” includes the use of Electronic Data Processing and Electronic Data Interchange transmission technique as an alternate and aid to paper documentation as specified in chapter 5.4 of the International Maritime Dangerous Goods Code;

(k) “grain” includes wheat, maize (corn), oats, rye, barley, rice, pulses, seeds, and processed forms thereof, whose behavior is similar to that of grain in its natural state;

(l) “gross mass” means the combined mass of a container’s tare mass and the masses of all packages and cargo items, including pallets, dunnage and other packing material and securing materials packed into the container;

(m) “International Convention for Safe Containers, 1972” means the International Convention for Safe Containers, 1972, adopted by the International Maritime Organisation, as amended from time to time;

(n) “International Grain Code” means the International Code for the Safe Carriage of Grain in Bulk, adopted by the International Maritime Organisation by Resolution MSC.23 (59), as amended from time to time;

(o) “IMSBC Code” means the International Maritime Solid Bulk Cargoes Code adopted by the International Maritime Organisation by Resolution MSC.268 (85), as amended from time to time;

(p) “International Maritime Organisation” means a United Nation's specialised agency with responsibility for the safety and security of shipping and the prevention of pollution by ships;

(q) “notice” means any notice, circular, order or guidelines issued by Administration under section 301 of the Act;

(r) “package” means one or more cargo items that are tied together, packed, wrapped, boxed or parcelled for transportation including but not limited to parcels, boxes, packets and cartons.

(s) “Port State Authority” means the jurisdictional Mercantile Marine Department;

(t) “recognised organisation” means any person or body of persons notified under section 9 of the Act;

(u) “Schedule” means a Schedule annexed to these rules;

(v) “shipper” means a legal entity or person named on the bill of lading or sea waybill or equivalent multimodal transport document (e.g. “through” bill of lading) as shipper or who (or in whose name or on whose behalf) a contract of carriage has been concluded with a shipping company;

(w) “shipping document” means a document used by the shipper to communicate the verified gross mass of the packed container which may be part of the shipping instructions to the shipping company or a separate communication in the form of a declaration including a weight certificate produced by a weigh station;

(x) “solid bulk cargo” means any cargo, other than liquid or gas, consisting of a combination of particles, granules or any larger pieces of material generally uniform in composition, which is loaded directly into the cargo spaces of a ship without any intermediate form of containment;

(y) “tare mass” means the mass of an empty container that does not contain any packages, cargo items, pallets, dunnage, or any other packing material or securing material;

(z) “terminal representative” means a person appointed by the terminal or other facility where the ship is loading or unloading, who has responsibility for operations conducted by that terminal or facility with regard to the particular ship;

(za) “timber deck cargo” means a cargo of timber carried on an uncovered part of a freeboard or superstructure deck;

(zb) “verified gross mass” means the total gross mass of a packed container as obtained by one of the methods specified.

(2) The words and expressions used and not defined in these rules but defined in the Act, International Convention for Safe Containers, 1972, International Convention for Safety of Life at Sea, 1974, International Convention for Prevention of Pollution from ships, 1973/1978, and applicable codes shall have the meanings respectively assigned to them in the Act and in those applicable regulations, codes and conventions, as the case may be.

CHAPTER II

GENERAL PROVISIONS

4. Carriage of timber cargoes. — (1) Every ship carrying timber deck cargo and timber inside the hold shall comply with the provisions of the Timber Code and the recommendations of the International Maritime Organisation as adopted by Resolution MSC/Circ.525 and MSC/Circ. 548 as amended and such other recommendations of the International Maritime Organisation, issued from time to time.

Explanation.— For the purposes of this sub-rule, the expression “Timber Code” means the Code of Safe Practice for ships Carrying Timber Deck Cargoes adopted by the International Maritime Organisation Resolution A.1048 (27), as amended from time to time;

(2) All ships provided with and making use of timber load line shall comply with the requirements of the applicable regulations of the International Load Line Convention, as amended, and shall load timber cargo under-deck and on-deck, as per the stability booklet conditions duly approved by the competent authority or recognised organisation.

(3) A ship loaded with timber deck cargo shall comply with the requirements of this rule and report the same to the respective Port State Authority or concerned Port State Control officer if outside India.

5. Carriage of Cargo Transport Units (containers). — (1) The master of a ship shall ensure that new or existing containers loaded, stowed and carried for sea transportation have a safety approval plate conforming to the specifications set out in the appendix of the International Convention for Safe Containers, 1972, as amended.

(2) The master of the ship shall ensure that every such container shipped on board has been provided with documents specified in sub-rule (5) of rule 7 and is secured as per the cargo securing manual duly approved by the competent authority or recognised organisation.

(3) Every master or owner shall ensure that the dangerous goods carried in the containers are verified and complies with the provisions of the International Maritime Dangerous Goods Code.

(4) The master or owner shall ensure that containers received on board are well maintained and relevant endorsement is highlighted on the safety approval plate.

(5) The master of a ship when loading cargo transport units on his ship, shall ensure that shipper provides documents showing compliance with the CTU Code, 2014 with special reference to its packing.

(6) For ensuring compliance of containers with provisions of the International Convention for Safe Containers, 1972, the Administration may authorise other agencies, including recognised organisations for inspection and testing as per the International Convention for Safe Containers, 1972 and subsequent approval, including issuance of safety approval plate, upon verification of compliance with the applicable requirements.

6. Solid bulk cargoes other than grain. — The carriage of solid bulk cargoes other than grain shall comply with the requirements of Chapter VI of the International Convention for Safety of Life at Sea, 1974 and relevant provisions of the International Maritime Solid Bulk Cargoes Code.

7. Cargo information. — (1) The owner and master of all ships loading any cargo, shall ensure that cargo information is made available to the ship by the shipper before the commencement of cargo operations.

Explanation.— For the purpose of this sub-rule, the expression “cargo information” means the information required in sub-chapter 1.9 of the Code of Safe Practice for Cargo Stowage and Securing, adopted by International Maritime Organisation Resolution A.714(17), as may be amended.

(2) The shipper shall provide the master or his representative with appropriate information on the cargo sufficiently in advance of loading to enable the precautions which may be necessary for proper stowage and safe carriage of the cargo to be put into effect and such information shall—

(a) be provided in such format recommended by the International Maritime Organisation through MSC/Circ. 663;

(b) be confirmed in writing and by appropriate documents prior to loading the cargo on the ship;

(c) include the following, namely:—

(i) in the case of general cargo and of cargo carried in cargo units, a general description of the cargo, the gross mass of the cargo or of the cargo units, and any relevant special properties of the cargo;

(ii) in the case of solid bulk cargo, information as required by section 4 of the International Maritime Solid Bulk Cargoes Code;

(iii) in case of a bulk cargo not listed in IMSBC Code, the provisions of section 1.3 of the International Maritime Solid Bulk Cargoes Code.

(3) Prior to loading cargo units on board ships, the shipper shall ensure that the gross mass of such units is in accordance with gross mass declared on the shipping documents and ascertained in accordance with Annexure - I.

(4) In the case of cargo carried in a container, except for containers carried on a chassis or a trailer when such containers are driven on or off a ro-ro ship engaged in short international voyages as defined in Regulation III/3 of the International Convention for Safety of Life at Sea, 1974, the gross mass of the container shall be verified as per procedure detailed in Annexure - I.

(5) The shipper of a container shall ensure that the mass of the container is verified in accordance with procedure as specified in Annexure - I, in conformity with Resolution (MSC.1/ Circ. 1475) and the verified gross mass shall be stated in the shipping document which shall be—

(a) signed by a person duly authorised by the shipper; and

(b) submitted to the master or his representative and to the terminal representative sufficiently in advance, as required by the master or his representative, to be used in the preparation of the ship stowage plan.

(6) Where the shipping document with regard to a packed container does not provide the verified gross mass and the master or his representative and the terminal representative have not obtained the verified gross mass of the packed container, it shall not be loaded on to the ship.

8. Oxygen analysis and gas detection equipment. — Every ship transporting a solid bulk cargo which is liable to emit a toxic or flammable gas or cause oxygen depletion in the cargo space, shall carry an appropriate instrument for measuring the concentration of gas or oxygen in the air, along with detailed instruction for use from the original equipment manufacturer and comply with the following conditions, namely:—

(a) crew members on such ship shall be trained in the use of such instrument within two weeks of their joining or prior to entering enclosed or confined spaces or prior to commencement of cargo operations which affect atmospheric conditions, whichever is earlier, and the same shall be recorded;

(b) each such instrument shall be maintained and periodically calibrated as required by the manufacturer.

9. Use of pesticides in ships. — (1) Every master of a ship shall take appropriate precautions in the use of pesticides on board his ship, in particular, for the purposes of fumigation in accordance with the concerned recommendations of the International Maritime Organisation Resolutions MSC.1/Circ.1358, MSC.1/Circ.1264, MSC.1/Circ.1361, to ensure that life of his crew and persons involved in fumigation is not endangered.

(2) In-transit fumigation shall only be carried out based upon recommendations of the International Maritime Organisation Resolution MSC.1/ Circ. 1264, and in compliance with the notices issued by the Administration, if any.

10. Stowage and securing. — When stowing and securing any cargo on board ship, the master shall comply with the provisions specified in the relevant Code for acceptability, stowage, and securing of cargoes in the following manner, namely:—

(a) cargo, cargo units and cargo transport units carried on or under deck shall be so loaded, stowed and secured, as to prevent as far as practicable, throughout the voyage, damage or hazard to the ship and the persons on board and loss of cargo overboard;

(b) cargo, cargo units and cargo transport units shall be so packed and secured within the unit as to prevent, throughout the voyage, damage or hazard to the ship and the persons on board;

(c) appropriate precautions shall be taken during loading and transport of heavy cargoes or cargoes with abnormal physical dimensions to prevent structural damage to the ship and to maintain adequate stability throughout the voyage;

(d) appropriate precautions shall be taken during loading and transport of cargo units and cargo transport units on board ro-ro ships, especially with regard to the securing arrangements on board such ships and on the cargo units and cargo transport units and with regard to the strength of the securing points and lashings;

(e) freight containers shall not be loaded to more than the maximum gross weight indicated on the safety approval plate fixed thereon under the International Convention for Safe Containers, 1972, as amended;

(f) all cargoes, other than solid and liquid bulk cargoes, cargo units and cargo transport units, shall be loaded, stowed and secured on board ship throughout the voyage in accordance with the Cargo Securing Manual duly approved by the competent authority or recognised organisation;

(g) in ships with ro-ro spaces as defined in the Regulation II-2/3.41 of the International Convention for Safety of Life at Sea, 1974, all securing of cargoes, cargo units and cargo transport units shall be in accordance with

the Cargo Securing Manual duly approved by the competent authority or recognised organisation, and shall be completed before the ship leaves the berth.

11. Material safety data sheets. — The ships carrying oil or oil fuel, shall be provided with material safety data sheets, based on recommendations of the International Maritime Organisation Resolution MSC.286(86), prior to loading such oil as cargo in bulk or bunkering of oil fuel.

Explanation.— For the purposes of this rule, the expression “oil fuel” means any oil used as fuel in connection with the propulsion or auxiliary machinery of the ship in which oil is carried.

12. Prohibition of blending of bulk liquid cargoes and production processes during sea voyages. — (1) The physical blending of bulk liquid cargoes during sea voyages is prohibited:

Provided that such prohibition does not preclude the master from undertaking cargo transfers for the safety of the ship or protection of the marine environment.

Explanation.— For the purposes of this sub-rule, the expression “physical blending” means the process whereby the ship's cargo pumps and pipelines are used to internally circulate two or more different cargoes with the intent to achieve a cargo with a new product designation.

(2) The prohibition specified in sub-rule (1) shall not apply to the blending of products for use in the search and exploitation of seabed mineral resources on board ships used to facilitate such operations.

(3) Any production process on board a ship during sea voyages is prohibited.

Explanation.— For the purposes of this sub-rule, the expression “production process” means any deliberate operation whereby a chemical reaction between a ship's cargo and any other substance or cargo takes place.

(4) The prohibition specified in sub-rule (3) shall not apply to the production processes of the cargoes for use in the search and exploitation of seabed mineral resources on board ships used to facilitate such operations.

CHAPTER III

SPECIAL PROVISIONS FOR SOLID BULK CARGOES

13. Acceptability for shipment. — (1) Prior to loading a solid bulk cargo, the master shall be in possession of comprehensive information on the stability and the distribution of cargo as per the standard loading conditions which shall—

(a) conform to the requirements prescribed by the applicable notice issued by the Administration from time to time;

(b) conform to the Regulation II-1/5-1 of the International Convention for Safety of Life at Sea, 1974 and guidelines for the preparation of intact stability information (MSC/Circ.456) and the revised guidelines to the master for avoiding dangerous situations in adverse weather and sea conditions (MSC.1/Circ.1228); and

(c) be from a loading instrument as approved by the competent authority or recognised organisation.

(2) Concentrates or other cargoes which may liquefy shall only be accepted by the master of the ship for loading when the actual moisture content of the cargo is less than its transportable moisture limit:

Provided that cargoes having moisture content in excess of the transportable moisture limit may be carried on a specially constructed or fitted cargo ships for confining cargo shift, as approved by the Administration for Indian ships and in case of foreign flag ships, as approved by the respective flag state administration.

(3) The information relating to solid bulk cargo referred to in **sub-clause (ii)** of clause **(c)** of sub-rule (2) of rule 7 shall include signed certificate on the moisture content and transportable moisture limit of the cargo, issued by entity or laboratory approved by the Administration in accordance with Annexure - II.

(4) The master shall take special precautions for safe loading and carriage of bulk cargoes which possess chemical properties that may create a potential hazard and are not covered by the International Maritime Dangerous Goods Code.

14. Carriage requirement. — (1) Every ship loading solid bulk cargoes other than grain shall comply with the requirements of the International Maritime Solid Bulk Cargoes Code and loading and unloading procedures stipulated in the Code of Practice for the Safe Loading and Unloading of Bulk carriers.

(2) The master shall ensure that bulk cargoes shall be loaded and trimmed properly to reasonable level, as necessary, to the boundaries of the cargo space as to minimise the risk of shifting and maintain adequate stability throughout the intended voyage.

(3) Where bulk cargoes are carried in tween-decks of general cargo ships,—

- (a) the hatchways of such spaces shall be closed for cases where the loading information indicates an unacceptable level of stress on the bottom structure if the hatchways are left open;
- (b) the cargo shall be trimmed at reasonable level and either extend from side to side or secured by additional longitudinal divisions of sufficient strength;
- (c) the safe load-carrying capacity of the tween-decks shall be observed to ensure that the deck-structure is not over stressed or overloaded; and
- (d) the master shall be guided by the relevant sections of the International Maritime Solid Bulk Cargoes Code in respect of cargoes carried on tween-deck ships or general cargo ships.

15. Loading, unloading and stowage. — (1) The shipper, ship owner, ship master and the ports involved in the safe loading and unloading of solid bulk cargoes other than grain listed in the International Maritime Solid Bulk Cargoes Code shall strictly comply with the relevant responsibilities, duties and authority specified in the Code of Practice for the Safe Loading and Unloading of Bulk Carriers and detailed procedures in the manual on loading and unloading of solid bulk cargoes for terminal representatives.

(2) If the cargoes that are not listed in the International Maritime Solid Bulk Cargoes Code or detailed information is not available, the shipper, ship owner, ship master or the concerned port shall approach the Administration without any delay.

(3) To enable the master to prevent excessive stresses in the ship structure, all ships engaged in shipment of such cargoes shall be provided with a booklet, duly approved by the competent authority or recognised organisation, written in a language with which the ship's master and officers responsible for cargo operations are familiar with and in case the language is not in English, a booklet in English language shall be provided to the ship with the following information, namely:—

- (a) stability data, as required by Regulation II-1/5-1 of the International Convention for Safety of Life at Sea, 1974;
- (b) ballasting and de-ballasting rates and capacities;
- (c) maximum allowable load per unit surface area of the tank top plating;
- (d) maximum allowable load per hold;
- (e) general loading and unloading instructions with regard to the strength of the ships structure including any limitations on the most adverse operating conditions during loading, unloading, ballasting operation and the voyage;
- (f) any special restrictions such as limitations on the most adverse operating conditions imposed by the Administration, issued by a relevant notice, if any;
- (g) where strength calculations are required maximum permissible forces and movement on the ship's hull during loading, unloading and the voyage.

(4) Before a solid bulk cargo is loaded or unloaded, the master and the terminal representative shall —

- (a) agree on a plan, drawn up in accordance with the Code of Practice for the Safe Loading and Unloading of Bulk Carriers, to ensure that the permissible forces and moments on the ship are not exceeded during loading or unloading;
- (b) include the sequence, quantity and rate of loading or unloading, taking into consideration the speed of loading or unloading, the number of pours and de-ballasting or ballasting capability of the ship.

Explanation.— For the purposes of this sub-rule, the expression “pour” means quantity of cargo poured through one hatch opening as one step in the loading plan i.e. from the time the spout is positioned over hatch opening until it is moved to another hatch opening.

(5) The plan referred to in clause (a) of sub-rule (4) and any subsequent amendments thereto shall be reported to the nearest authority of the port State.

(6) The master and terminal representative shall ensure that loading and unloading operations are conducted in accordance with the agreed plan.

(7) In case during loading or unloading any of the limits specified in the cargo plan are exceeded or likely to exceed and if the loading or unloading continues, the master shall suspend operation and notify accordingly to the authority of the port State and the master and the terminal representative shall ensure that corrective action is taken.

(8) In case any damage occurs, which may impair the structural capability or the watertight integrity or the ships essential engineering systems, then the damage shall be reported to the recognised organisation or the Authority of the port State.

(9) The master shall ensure that ship's personnel continuously monitor cargo operations and where possible, the ships draft shall be checked regularly during loading or unloading to confirm with ship's deadweight, and cargo figures supplied.

(10) Each draft, deadweight including cargo loaded observation shall be recorded in a cargo log-book or other equivalent ship's log-book and if significant deviations from the agreed plan are detected, cargo or ballast operations or both shall be adjusted to ensure that the deviations are corrected.

(11) The Administration in consultation with ship owners, ports, shippers and other entities may issue notice detailing procedures and guidelines, from time to time, for the purposes of implementation and enforcement of the provisions of the International Maritime Solid Bulk Cargoes Code including the Code of Practice for the Safe Loading and Unloading of Bulk Carriers and the manual on loading and unloading of solid bulk cargoes for terminal representatives.

CHAPTER IV CARRIAGE OF GRAIN

16. Special requirements for carriage of grain. — (1) In addition to any other applicable requirements under these rules, a cargo ship carrying grain shall comply with the requirement of the International Grain Code and hold a document of authorisation as required by the International Grain Code.

(2) For a ship loading grain, the master of the ship shall satisfy to the Port State Authority or its authorised official that the ship complies with the requirements of these rules and the provisions of International Grain Code in its proposed loading condition.

(3) A ship without a document required under this rule, shall not load grain until the master demonstrates to the satisfaction of Administration or the Port State Authority of the port of loading, that the ship in its proposed loading condition shall comply with the provisions of the International Grain Code during the entire voyage.

CHAPTER V MISCELLANEOUS

17. Implementation and enforcement. — (1) The surveyor appointed under section 8 or authorised under section 9 of the Act, shall survey the ship to check fittings and requirements for carriage of cargoes as required under these rules.

(2) The surveyor appointed under section 8 of the Act, upon receipt of complaint or otherwise, may board the ship to verify compliance with the requirements under these rules.

(3) Any violation or non-compliance with these rules, by the owner, company, master, shipper, or any other relevant service provider, shall be liable to penalty under the Act.

18. Fee. — The fee for survey and certification to be conducted by surveyors appointed under section 8 of the Act shall be as specified in the Schedule.

Annexure - I

[See rule 7(3), (4) and (5)]

Method for Verifying Gross Mass

1. In the case of cargo carried in a container, the gross mass shall be verified by the shipper as per the following methods, namely:—

- (a) Method 1.— weighing the packed container using calibrated and certified equipment; or
- (b) Method 2.— weighing all packages and cargo items, including the mass of pallets, dunnage and other securing material to be packed in the container and adding the tare mass of the container to the sum of the single masses, using a certified method approved by the Administration in which packing of the container was completed.

2. Shippers from India shall adopt either of the methods for verifying the gross mass of the containers.

Explanation.— For the purposes of clause (a) of paragraph 1, the expression “calibrated and certified equipment” means a scale, weighbridge or weighing appliances, lifting equipment or any other device, capable of determining the actual gross mass of a packed container or of packages and cargo items, pallets, dunnage and other packing and securing material, that meets the accuracy standards and requirements of the State in which the equipment is being used.

3. After verifying the gross mass by either of the specified methods, the shipper shall inform the verified gross mass of the container (except for containers carried on a chassis or a trailer when such containers are driven on of a ro-ro ship engaged in short international voyage) to the master of the ship or his representative, to enable preparation of the stowage plan, sufficiently in advance of the loading.

4. The master or his representative and the terminal shall specify the time frame before which the information referred to in paragraph 3 is required to be provided by the shipper and such time frame shall be available in the public domain for easy access by all concerned including the shippers.

5. The shipping company shall provide information regarding the verified gross mass of the packaged container to the terminal representative in advance of ship loading in accordance with paragraph 6.3.1 of the International Maritime Organisation Circular No. MSC.I/Circ. 1475, dated 9th June, 2014.

6. The shipper shall ensure that the shipping document containing the information about the gross mass of the container—

- (a) is signed by a person duly authorised by the shipper;
- (b) bears the name and designation of the person signing the shipping document which is clearly legible along with the contact details (phone number and email id.); and
- (c) is submitted in electronic format using digital signature.

7. The shipper of the container shall also ensure that the requirements of CTU Code 2014, are adhered to while packing or stuffing the container.

8. Shippers adopting method 1 referred to in clause (a) of paragraph 1 for verifying the gross mass of the container shall ensure the following, namely:—

- (a) the verification of gross mass of the container shall be carried out at a location away from the port or terminal to avoid congestion at the port or terminal area;
- (b) the container shall preferably be weighed at the container stuffing point or container freight station or inland container depot, or en-route to the port or terminal;
- (c) the weighbridge or weighing appliances used for ascertaining the gross mass of the container shall comply with the requirements specified in paragraph 10;
- (d) the verified gross mass of the container obtained at the weighbridge or weighing appliances shall be provided by the weighbridge or weighing appliances operator in a tamper proof document to the shipper;
- (e) the shipper shall—
 - (i) upload the relevant information specified in Form-1 on a dedicated secure website;

- (ii) provide the tamper proof document of the weighbridge or weighing appliances operator to the master or his representative upon request;
- (iii) forward the above information to the master or his representative through electronic means, immediately on the verification of the gross mass of the container.

9. (a) The shippers adopting method 2 referred to in clause (b) of paragraph 1 for verification of gross mass of container shall have their method approved by the Administration after complying with the following requirements, namely:—

- (i) the method of the shipper shall be part of a Quality Management System complying with the requirements of ISO 9001:2015 standards, or such updated standards applicable from time to time;
- (ii) the shipper shall maintain a list of calibrated weighing scales duly certified by Department of Legal Metrology;
- (iii) the owner of the container shall ensure that the tare weight of the container is correctly marked on the container and the shipper shall have mechanism to re-verify the weight of the empty container, if required, to ensure that the weight of the empty container conforms to the tare weight marked on the container:

Provided that for such re-verification whenever required, a combination of electronic scale and pulley or chain-block, or other relevant methods may be accepted:

Provided further that if any noticeable deviation is observed between the actual weight of the empty container and the tare weight marked on the container, such empty container shall not be accepted for stuffing the container without ensuring that the tare weight marked on the container reflects the actual weight of the container;

- (iv) the shipper shall upload the information regarding the verified gross mass of the container and other relevant information as specified in Form -1 of this Annexure on a dedicated secure website or its own website or through tie-up with other dedicated secure website;
- (v) the shipper shall submit the details of the method proposed to be used for verifying the gross mass of the container along with details of all other relevant documents as specified in Form-2 to the jurisdictional Mercantile Marine Department along with applicable fee for processing the issue for approval.

(b) The jurisdictional Mercantile Marine Department shall—

- (i) have the premises of the shipper inspected to verify that the certified process, associated instruments etc., confirm the ability of the shipper to comply with the requirements of method 2;
- (ii) on successful completion of the inspection, forward the report specified in Form-2 to the Administration for consideration of the grant of approval to the certified process of the shipper.

(c) The list of companies or shippers approved by the Administration for method 2 shall be displayed on the website of the Administration.

10. (a) The dedicated secure website—

- (i) shall have its server, associated backup systems etc., located within India;
- (ii) desiring to adopt method 1 or method 2 shall have the ability to display the information on real time basis to all concerned along with details of shippers, weighbridge or weighing appliances, terminals, carriers, etc. participating in their system and electronically transmit the information to the master or his representative;
- (iii) shall comply with the requirements of information security management systems as may be applicable from time to time;
- (iv) shall have a firewall system designed to prevent unauthorised access to, or from the network conforming to the requirements of the latest industry standards;
- (v) shall be in possession of a valid Quality Management System certificate confirming compliance with ISO 9001:2015 standards, or such updated standards as applicable from time to time;
- (vi) shall retain information for a period of three years initially on the website and a further period of two years in external stowage devices;
- (vii) shall only provide such information in the public domain as specified by the Administration from time to time;

(viii) shall provide without any cost, the information regarding gross mass of containers and other relevant information to all Government Authorities like Mercantile Marine Department, Administration, Customs and Central Excise department, Port Authorities, Security Agencies, etc.

(ix) shall provide periodical or annual reports to the Administration including other information available in the database of the website whenever required by the Administration without any cost.

(b) The list of dedicated secure websites accepted by the Administration for providing the service shall be displayed on the website of the Administration.

(c) The terminals or ports or weighbridge operators, etc. may develop dedicated website, either singularly or collectively, so as to provide required information about the verified gross mass of the container to all concerned in compliance with the requirements of this paragraph.

11.(a) The weighbridge or weighing appliances using method 1 and method 2 shall—

(i) be electronic type;

(ii) be calibrated and certified by the Department of Legal Metrology;

(iii) be certified as a valid Quality Management System confirming compliance with ISO 9001:2015 standards, or such updated standards applicable from time to time;

(iv) have adequate capacity to weigh the loaded container along with the trailer or truck or lorry, if required;

(v) have tamper proof mechanism that prevents tampering with the calibration;

(vi) have provision to provide information about verified gross mass in a tamper proof document.

(b) The weighbridge or weighing appliances operators desiring to participate in method 1 or method 2 shall—

(i) submit the information as specified in Form-3.

(ii) verify the calibration with standard weights at frequent intervals and the details of such verification shall be recorded and made available during inspection by authorised personnel.

12. The verified gross mass of container shall not exceed the maximum gross weight indicated on the container safety approval plate (CSC Plate).

13. The decision of the master of a ship whether to accept or reject a container shall be final.

14. The dedicated secure website and weighbridges or weighing appliances may be—

(a) audited or inspected by authorised personnel;

(b) debarred for non-compliance.

15. The container owners not marking the correct tare weight on the container and the names of the shippers defaulting in the declaration of the verified gross mass of containers may be displayed on the website of the office of Administration.

16. The instances of mis-declaration of verified gross mass of container shall be reported to the Administration.

Form – 1

[See paragraph 8(e)(i) of Annexure 1]

INFORMATION ABOUT VERIFIED GROSS MASS OF CONTAINER

Sr. No.	Details of Information	Particulars
(1)	(2)	(3)
1*	Name of the shipper	
2*	Shipper Registration/License No. (IEC No/CIN No) **	
3*	Name and designation of official of the shipper authorised to sign document	
4*	24 x 7 contact details of authorised official of shipper	
5*	Container No.	
6*	Container Size (TEU/FEU/other)	
7*	Maximum permissible weight of container as per the CSC plate	
8*	Weighbridge registration no. and Address of Weighbridge	
9*	Verified gross mass of container (method-1/method-2)	
10*	Date and time of weighing	
11*	Weighing slip no.	
12	Type (Normal/Reefer/Hazardous/others)	
13	If Hazardous, UN No, IMDG class	

Signature of authorised person of shipper:

Name: _____

Date: _____

Remarks:

* Indicates mandatory fields

** Shippers not having IEC No. or CIN No. may provide information as follows:

Company – PAN No.Individuals:

Indian National – AADHAR No

Foreign National – PASSPORT No and Country of issue of passport.

Form – 2

[See paragraph 9(a)(v) and (b)(ii) of Annexure – I]

SCRUTINY SHEET FOR ASSESSMENT AND APPROVAL OF SHIPPER FOR ADOPTING METHOD - 2

Sr. No.	Requirements	Compliance	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)
I	BASIC REQUIREMENTS		
1	Name of the Shipper		
2	Names of the Owners/Directors/Proprietor/Partner/Trustees etc., of the organisation		(Documentary evidence to be attached)
3	Date of Registration of the Organisation [Company/Society/Partnership etc.,]		1. Copy of certificate of incorporation of the organisation to be attached. 2. Copy of Memorandum and Articles of Association/other equivalent documents to be attached [as applicable]
4	Name of the Director/Official authorised to sign documents		
5	Fees: Demand Draft/online payment for Rs. _____/- in favour of the Jurisdictional MMD.		For Assessment and Issue of Certificate
6	Registered Address or Location of the organisation Telephone/Fax/E-Mail		
7	Address for Communication 24x7 Telephone/Fax/E-Mail		
8	Layout of the premises (Stuffing location) with relevant documents		Copy of the layout plan to be attached
9	Ownership details of the premises	Lease deed valid upto: _____ Whether Lease deed has enabling provision for renewal of lease for a further period.	If owned: copy of the ownership documents to be attached If leased: copy of the leased deed duly registered with the appropriate authority to be attached
10	The organisation premises to have the necessary permissions from the concerned local authorities (Municipal/Panchayat/Industrial etc., as applicable)		Shop and Establishment registration, Municipality licence, etc., as applicable to be attached
11	Quality Management System Certificate complying with the requirements of ISO 9001:2015 standards	Valid till _____	Copy of certificate to be attached
12	Details of calibrated electronic weighing equipment		Certificates from Legal Metrology Department to be submitted

13	Lifting Hooks for slinging the empty container		Safe working load to be specified
14	Chain block		Safe working load to be specified
15	Premises to have adequate space for weighing the individual items including pallets, etc.		
16	Ability to issue tamper proof document containing information specified in Form -1		Copy of the tamper proof document to be submitted
17	Ability to display information on independent website/tie-up with independent website		Agreement of tie-up with independent website to be submitted
18	Ability to digitally transmit container VGM data to website, terminal and Master of the ship		

Recommendations/Comments of MMD Surveyor:

List of enclosures:

Surveyor of MMD

Comments of the Principal Officer:

Form - 3

[See paragraph 11(b) of Annexure – I]

INFORMATION ABOUT WEIGHBRIDGE

Sr.No.	Details of Information	Particulars
(1)	(2)	(3)
1	Name of the weighbridge Operator	
2	Address of weighbridge	
3	Weighbridge Registration/License No. issued by Department of Legal Metrology	
4	Details of the weighbridge – Type: Mechanical / Electronic Make Model Serial No.	
5	Weighbridge calibration certificate issued from Department of Legal Metrology and Certificate No. and date of issue with validity	Certificate No. Date of issue Validity
6	Weighbridge QMS certificate confirming compliance with ISO 9001:2015 or such updated standards that is applicable from time to time.	Certificate No. Date of issue Validity
7	Does the weighbridge have adequate capacity to weigh the loaded container along with the trailer/truck/lorry, if required?	
8	Does the weighbridge have provision to provide information about verified gross mass in a tamper proof document?	

Signature of authorised person of weighbridge operator

Name: _____

Date: _____

Annexure - II

[See rule 13(3)]

Approval of marine laboratories as per IMSBC Code

1. All marine laboratories which are engaged in the testing of cargoes carried on board ships as per the International Maritime Solid Bulk Cargoes Code, and desiring to be approved by the Administration, for the said purpose, shall follow the requirements stipulated in Form – 4.

2. The marine laboratories shall approach the Administration and jurisdictional Mercantile Marine Department, for an inspection and approval from the Administration.

Form – 4

[See paragraph 1 of Annexure - II]

SCRUTINY SHEET FOR ASSESSMENT AND APPROVAL OF LABORATORIES AS PER IMSBC CODE

Sr. No	Requirements	Compliance	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)
A	BASIC REQUIREMENT		
1.	Name of the Organisation [Marine Laboratory]		
2.	Names of the Owners / Directors / Proprietor / Trustees etc., of the organisation owning the marine laboratory.		Documentary evidence to be attached
3.	Date of Registration of the Organisation [Company / Society etc.]		1. Copy of Certificate of Incorporation to be attached. 2. Copy of Memorandum and Articles of Association / other equivalent documents to be attached (as applicable).
4.	Fees: Online payment details / Demand Draft for Rs. ____/- in favour of the Jurisdictional MMD		
5.	Address for communication Telephone / Fax / E-Mail		
6	Address of location of the Laboratory Telephone / Fax / E-Mail		
7	Layout of the premises with relevant documents		Copy of the layout plan to be attached.
8	Ownership details of the premises of the marine laboratory	Lease deed valid up to : Whether lease deed has enabling provision for renewal of lease for a further period	If owned: copy of ownership documents to be attached. If leased: copy of the lease deed duly registered with the appropriate authority to be attached.
9	The marine laboratory premises to have the necessary permissions from the concerned local authorities (Municipal / Panchayat / Industrial etc. as applicable)		Shop and Establishment registration, Municipality licence, etc. as applicable to be attached.

B	PERSONNEL (Qualification, Training and Practical experience)		
1.	<u>Competent Person(Head of Marine laboratory)</u> 1. Qualifications and Experience: An Officer of Merchant Navy with following experience: 2nd Mate FG CoC with at least 2 years rank experience OR MEO Class I CoC with at least 24 months experience in carrying out cargo survey. 2. Have conducted more than 25 tests with each apparatus (Flow Table & Penetration test) at NABL accredited laboratory. 3. Should have preferably 1 year experience of handling samples in NABL accredited laboratory pertaining to FMP & Moisture. 4. Completed training on Internal Quality Auditor for ISO 9001:2008 / 9001:2015.	1. Name 2. CoC grade 3. CoC No. 4. Age 5. Experience	1. Copy of CoC to be submitted. 2. Copy of experience certificate to be submitted. 2.1 If working for cargo surveying organisation – letter from organisation to be submitted. 2.2 If self-employed – copy of oldest cargo survey report signed by owner to be submitted.
2	<u>Technical Head/Chemist</u> 1. At least a graduate in Chemistry / Physics. 2. Trained in IMSBC Code 3. Trained in Laboratory Management (as per ISO 17025:2005). 4. Trained in estimation of Measurement of Uncertainty. 5. Have conducted more than 25 tests with each apparatus (Flow table / Penetration test / Modified Proctor / Fagerberg test as applicable) at NABL accredited laboratory. 6. To have minimum 6 months experience of handling samples in NABL accredited laboratory pertaining to testing of FMP & Moisture.		Copies of certificates to be attached.
C	Infrastructure		
1	The walls of the premises are to be properly coated / painted.		
2	The premises to have modern flooring of ceramic tiles / granite / mosaic or similar material.		
3	The premises to have adequate lighting.		
4	The premises to be adequately ventilated.		
5	The laboratory to be accredited by the National Accreditation Board for Testing & Calibration Laboratories (NABL).		Certificate of Accreditation by NABL is to be attached.
6	The laboratory to be in possession of quality certification under ISO 9001:2008 or ISO 9001:2015.		Certificate is to be attached.

7	The laboratory shall have the following updated/amended publications and standards as required (i.e. IMSBC Code (latest Edition), ASTM C230/C230M, ISO 3082 (Iron ore sampling and sample preparation), IS 1405 – 2010 methods of sampling Iron ore, understanding laboratory management system 17025:2005, determining of specific gravity IS 11896, etc. are some of the publications required to be maintained).		Complete list of publications & standards to be attached.
8	The laboratory to have necessary fire-fighting equipment (in view of the hot air ovens being used).		
D	FLOW TABLE TEST		
1	Scope: The Flow Table is generally suitable for mineral concentrates or other fine material with a maximum grain size of 1 mm. It may also be applicable to materials having a maximum grain size of up to 7 mm. It may not give satisfactory results for materials coarser than this or for some materials with high clay content. If the flow table test is not suitable for a material in question, the procedures should be those approved by the authority of the port state.		
2	Apparatus		Photographs to be attached
3	Standard Flow table & Frame		
4	The frame of the flow table is to be made of apparent good quality cast iron consisting of three ribs extending the full height of the frame & 120 deg. apart.		
5	The top of the frame as well as the bottom should be suitably ground to give complete contact with shaft the collar and the steel plate respectively.		
6	The table-top to be made of finely machined brass or bronze.		
7	The dimensions of the table-top should be 254 mm (+/- 2.5 mm) × 8 mm.		
8	The table-top should be supported by six ribs at the bottom.		
9	The shaft should be attached to the table-top by means of a screw thread.		
10	The play between the shaft and the boring in the frame should be within 0.26 mm.		
11	The shaft should make contact with the cam only after the cam has rotated by 120 deg after falling of the shaft.		
12	The Drop height should be as per ASTM Standard C230 – (12.7 mm).		
13	The Drop counter should operate at 25 drops/minute.		
14	There should be proper markings on the Flow table as described in IMSBC Code.		
15	The Flow table rotating cam should be fitted tightly.		
16	Flow table Mounting		

17	The Flow table frame should be tightly bolted to a cast iron or steel plate at least 25 mm thick and 250 mm square.		
18	The top surface of this plate should be machined to a smooth plane surface.		
19	The plate should be apparently anchored to the top of a concrete pedestal & partly embedded in the concrete pedestal as required by the IMSBC Code.		
20	The pedestal should be cast inverted on the base plate.		
21	A positive contact between the base plate and pedestal should be obtained at all times.		
22	The flow table is levelled in perpendicular axis (No additional plates or nuts to be used).		
23	The pedestal height, top square and the bottom square should be as per the ASTM Standard C 230.		
24	The pedestal height should be between 625 – 750 mm.		Actual height ____ mm
25	The pedestal square at the top should be between 250 – 275 mm.		Actual height ____ mm
26	The square at the bottom should be between 375 – 400 mm.		Actual height ____ mm
27	The construction of the pedestal should be of a monolithic structure, i.e., the pedestal should be made up of a cast consisting of concrete.		
28	A suitable and stable gasket cork pad should be inserted under each corner of the pedestal.		
29	The flow table should be checked frequently for levelness of the table top, stability of the pedestal and tightness of the bolts and nuts in the table base and the pedestal plate.		
30	The vertical shaft of the table should be kept clean and should be lightly lubricated with light oil.		
31	There should be no oil present between the contact faces of the table top and the supporting frame.		
32	The table should be raised and permitted to drop a dozen or more times just prior to use if it has not been operated for some time.		
33	The rotating cam should be properly lubricated.		
34	The Gear box should be properly lubricated.		
35	Mould		
36	The mould for casting the flow specimen should be made of cast bronze or brass.		
37	The measurements of the mould should be as per the standard, i.e. the diameter of the top should be 69.8 mm $\pm$ 0.5 mm.		Actual diameter ____ mm

38	The surfaces of the base and top should be parallel and at a right angle to the vertical axis of the cone.		
39	The mould should have a minimum wall thickness of 5 mm.		Actual diameter ____ mm
40	The outside of the top edge of the mould should be shaped so as to provide an integral collar for convenient lifting of the mould.		
41	All the surfaces of the mould should be machined to a smooth finish.		
42	Tamper		
43	The tamper should be designed and constructed as per the recommendations in the IMSBC Code.		
44	Scales and Weights		
45	The scales should conform to the following requirements. On scales in use, the permissible variation at a load of 2000 gms should be +/- 2.0 gms.		Calibration certificates to be attached.
46	The weighing balances should be placed in an appropriate position.		
47	The weighing balances should be placed on a flat surface.		
48	The weights should be calibrated by a NABL accredited laboratory.		Calibration certificates to be attached.
49	Glass graduated measuring cylinder and burette.		Calibration certificates to be attached.
50	A hemispherical mixing bowl approx. 30 cm diameter, rubber gloves and drying dishes or pans. Alternatively, an automatic mixer of similar capacity can be used for the mixing operations. In this case, care should be exercised to ensure that the use of such a mechanical mixer does not reduce the particle size or consistency of the test material.		
51	A drying oven with controlled temperature up to approx. 110 degrees Celsius. This oven should be without air circulation.		Calibration certificates to be attached.
52	Is the procedure for carrying out the test as specified in the IMSBC Code.		
E	PENETRATION TEST		
1	Scope: The penetration test is generally suitable for mineral concentrates, similar materials, and coals up to a top size of 25 mm. In this procedure, the sample, in a cylindrical vessel, is subjected to vertical vibration of 2 g rms +/- 10% (g = gravity acceleration) for 6 minutes. When the penetration depth of a bit put on the surface exceeds 50 mm, it is judged that the sample contains moisture content greater than the flow moisture point.		
2	Apparatus		Photographs to be attached.
3	The test apparatus consists of: vibrating table		

	cylindrical vessels indicators (penetration bits and a holder) tamper ancillary equipment		
4	The Penetration machine should consist of a vibrator with a table on which a cylindrical vessel can be clamped. The vibrator should be capable of exciting a mass of 30 kg at a frequency of either 50 Hz or 60 Hz with acceleration of 3 g rms or more, and it can be controlled to adjust the acceleration level.		The acceleration to be checked with a calibrated accelerometer up to 3 gms.
5	The cylindrical vessels should be made of reasonably rigid, non-magnetic, impermeable and lightweight material such as acrylics or vinyl chloride.		
6	Penetration bits are made of brass. The mass of the bit for concentrates should be adjusted to 177 g. When the sample contains coarse particles, it is recommended that two bits of the same pressure are put on the surface to avoid mis-judgement.		
7	A holder should be made to guide the rod with minimum friction to the centre of a cylindrical vessel. When two bits are used, they should be positioned suitably.		
8	A cylindrical vessel and penetration indicators should be selected in accordance with the nature and condition of the test sample, viz. size of particles and bulk density.		
9	Is the procedure for carrying out the test as specified in the IMSBC Code.		
F	Modified Proctor/Fagerberg Test Procedure for Iron Ore Fines		
1.	<u>Eligibility for approval</u> The Laboratory should have approval of DGS for the flow table test for a period of at least 1 year before applying for approval for Modified Proctor / Fagerberg test. However, if the laboratory has approval for carrying out penetration test in addition to the flow table test, they may apply for approval on completion of 6 months from the date of approval by the Directorate for the flow table test.	1. Date of approval of Flow table test _____ 2. Date of approval of Penetration test _____ Copy of approval certificates to be attached.	
2	Accreditation of the laboratory with NABL for conduct of Modified Proctor/Fagerberg test for Iron Ore Fines. NABL accreditation for modified Proctor & Fagerberg test valid till _____ NABL certificate to be attached.		

3	<u>The Validation of the Method & Results</u> The laboratory should have conducted a minimum of 50 tests by the modified Proctor & Fagerberg test and prepare comparison charts of the results of the same sample against Flow Table Test (FTT) and Penetration Table Test (PTT) for validation of the results.	Data and graph of deviation obtained between the different test methods to be verified.	Data and deviation graph to be attached.
	<u>Additional equipment required</u> [in addition to the requirements for the Flow Table Test & Penetration Table Test]		
4	<u>The Compaction Cylinder</u> A cylindrical iron mould with a removable extension piece having an inner volume of 1000 cm ³ .	To be verified against Fig 1.3.2 of the IMSBC Code, for the required specifications of the proctor equipment.	Photo to be attached.
5	<u>The Compaction Hammer</u> This is a compaction tool guided by an open pipe at its lower end. The weight of the hammer is 150 gms which may be applied by a bit having a diameter of 50 mm. The drop height of the hammer is 15 cms.	To be verified against Fig 1.3.2 of the IMSBC Code, for the required specifications of the compaction hammer.	Photo to be attached.
6	<u>Pycnometer</u> (an instrument employed to measure material density of solids)		1.Photo to be attached. 2.Must be accompanied with a calibration certificate.
7	<u>Suitable vibration equipment for Pycnometer</u> The penetration table may be modified for this purpose if the design of the pycnometer allows for adequate vibrations. (To remove all void spaces in the sample)	Please see adequate standard for calculating density.	Photo to be attached.

Recommendations / Comments of MMD Surveyor:

List of enclosures

Surveyor of the MMD

Comments of the Principal Officer

Schedule

[See rule 18]

Scheduled Fees regarding Merchant Shipping (Carriage of Cargoes and Oil Fuels) Rules, 2026

Sr. No.	Item	Service	Fee (INR)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Survey or Inspection	Surveyor boarding ship for verification, as required under these Rules Any required subsequent visit for closure of observations, etc.	6,000 2,000 (per visit)
2	Approval	Cargo Securing Manual	50,000
3	Approval	Cargo securing fittings including grain fittings	30,000
4	Approval	Grain Stability Booklets For ships up to 5,000 GT For ships above 5,000 GT	80,000 80,000 Plus 1,000 for additional 100 GT subject to maximum of 1,60,000
5	Certification	Document of Authorisation (Grain)	30,000
6	Approval of Marine laboratories for cargo testing as per IMSBC Code	Visiting marine laboratories for inspection Any required subsequent visits for re-inspection, closure of observations, etc.	6,000 2,000 (per visit)
7	Approval of Shipper for VGM of containers	Visiting shipper's premises for inspection Any required subsequent visits for re-inspection, closure of observations, etc.	6,000 2,000 (per visit)
8	Holidays and overtime fees	Holiday and overtime (before 0930 hrs or after 1800 hrs) fees	10,000

[F. No. SY-19014/199/2025-MG-Part(11)]

VENKATESAPATHY S, Jt. Secy.